पत्र संख्या-11/का०- 10-08/90 का०-86

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री शिव प्रसाद सिंह, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 5 अगस्त, 91

विषय :- सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर कालावधि निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के संकल्प संख्या 9277 दिनांक 29 मई, 1971 की कंडिका- 4 के अनुपालन में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुशंसा के आलोक में सरकार ने भली-भाँति विचार कर निम्नांकित कालावधि निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन सेवा

क्रमांक	प्रोन्नति के निम्नतर पद	प्रोन्नति के उच्चतर पद	निर्धारित कालावधि
1.	आशुटंकक/आशुलिपिक (वेतनमान 1320-2040/-)	कनीय प्रवर कोटि आशुटंकक/आशुलिपिक (वेतनमान 1400-2300)	5 (पांच) वर्ष
2.	कनीय प्रवर कोटि आशुटंकक/आशुलिपिक (वेतनमान 1400-2300/-)	वरीय प्रवर कोटि आशुटंकक/आशुलिपिक (वेतनमान 1400-2600/-)	3(तीन) वर्ष

2- कालावधि की गणना प्रोन्नति/नियुक्ति की तिथि से की जायेगी।

विश्वासभाजन,

ह०/- शिव प्रसाद सिंह

सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- **पिछड़ा वर्ग की आरक्षित रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से पद भरने के संदर्भ में ।**

कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या-756 दिनांक 10-11-78 में यह निर्णय लिया गया है कि 20 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत और दूसरे श्रेणी के पिछड़ा वर्ग के लिए 8 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा । तदनुसार पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दो सूचियाँ उपर्युक्त संकल्प के साथ अलग-अलग परिचारित की गई हैं और अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति की तरह तीन भर्त्ती वर्ष तक रिक्तियों को अग्रनीत रखने का विशेष प्रावधान किया गया है ।

2. उपर्युक्त संकल्प में यह भी प्रावधान है कि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के योग्य उम्मीदवार अगर तीसरे भर्ती वर्ष तक भी उपलब्ध नहीं रहते हों तो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की आरक्षित रिक्तियाँ दूसरे श्रेणी के पिछड़ा वर्ग से भरी जाएगी ।

3. चूँकि वर्तमान में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की आरक्षित रिक्तियों को तीन भर्ती वर्ष तक योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर इनकी रिक्तियों को पिछड़ा वर्ग से भरने का प्रावधान है । परन्तु पिछड़े वर्ग की आरक्षित रिक्तियों को अनुपलब्धता की स्थिति में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से भरने का नियम में कोई प्रावधान नहीं है । फलतः अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में क्षोभ की भावना उत्पन्न नहीं हो, अतः अदला-बदली का समान प्रावधान किया जाना समुचित होगा ।

4. अतएव सरकार ने भली-भाँति विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया है कि पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां भी तीन भर्ती वर्ष तक अग्रनीत रहेगी और जिस प्रकार अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां अनुपलब्धता की स्थिति में तीसरे भर्त्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग से भरी जाती है, उसी प्रकार पिछड़े वर्ग की आरक्षित रिक्तियाँ भी उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में अत्यन्त पिछड़े वर्ग से अदला-बदली द्वारा भरी जाएगी ।

आदेश :- अतः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

ह०/-अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-11/आ० 4-आ०नि० 105/90 का०-49 पटना-15, दिनांक 12-4-91

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/महालेखाकार, बिहार, पटना/अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय निकायों/निगमों/ लोक क्षेत्र उपक्रमों/पर्षदों/सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इसकी प्राप्ति की सूचना दें तथा उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक क्षेत्र के उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/-अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-11/आ० 4-आ० नि०-105/90 का०-49 पटना-15, दिनांक 12-4-91

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव/आरक्षण आयुक्त/विकास आयुक्त को सूचनार्थ अग्रसारित ।

ह०/-अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या 15/आ० आ० को०-145/89 का०-38

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

अशोक कुमार चौधरी, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक ।

पटना-15 दिनांक 21 मार्च, 91

विषय :- सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आदर्श रोस्टर के अनुपालन के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि आए दिन इधर कुछ विभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हो रहा है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का किसी सम्वर्ग या कोटि में क्रमश: 14 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत अगर कोटा पूरा हो जाता है तो उन रिक्तियों पर आदर्श रोस्टर लागू होगा या नहीं । वर्त्तमान में संकल्प संख्या-133 दिनांक 31-10-90 द्वारा पिछड़ा वर्ग/अनु० जाति/जनजाति आदि के उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के आधार पर चयन किए जाने पर उनकी गणना आरक्षित कोटा में नहीं करने की व्यवस्था की गयी है ।

2. इस मामले पर अब भली-भांति विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि रोस्टर प्रणाली हर हालत में लागू रहेगा । राज्य स्तरीय/जिला एवं प्रमंडल स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु 100 बिन्दु एवं 50 बिन्दुओं का जो मॉडल रोस्टर परिपत्र संख्या 292 दिनांक 2-8-89 एवं संख्या-147 दिनांक 21-11-90 एवं प्रोन्नति हेतु परिपत्र संख्या 20165 दिनांक 8-11-75 द्वारा परिचारित है, उसका सभी स्तर पर कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा और इसमें किसी प्रकार के विचलन के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी दण्ड के भागी होंगे ।

विश्वासभाजन,

ह०/- अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 15/आ० आ० को०-145/89 का०-38 पटना-15, दिनांक 21 मार्च, 91

प्रतिलिपि-विकास आयुक्त/आरक्षण आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

संकल्प

पटना-15, दिनांक फरवरी, 91

विषय : **बिहार राज्य में बसने वाली गोड़ (GOUR) जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित कर गोंड (GOND) जाति की तरह अनुसूचित जन जाति को मिलने वाली सुविधाएं देने के सम्बन्ध में ।**

गोंड (GOND) और गोड़ (GOUR) जातियों को आदिवासी होने की सुविधा देने के लिये राज्य सरकार ने तीन सदस्यों की एक समिति कल्याण विभाग द्वारा गठित की थी । इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि गोंड (GOND) पूरे बिहार राज्य में अनु० जनजाति की सूची में सम्मिलित है । अन्य क्षेत्रों में गोड़ (GOUR) जाति आदिवासी गोंड (GOND) जाति की मिलने वाली सुविधा को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने को अनु० जनजाति (GOND) जाति कहने का दावा करती है । उक्त समिति ने अनुशंसा की कि गोड़ (GOUR) जाति को पिछड़ी जाति माना जा सकता है ।

2. खरवार (KHARWAR) जाति एवं गोंड (GOND) जाति को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- एस० आर० ओ० 2477 दिनांक 27-10-1956 द्वारा पूरा राज्य में अनु० जनजाति घोषित किया गया है । उपर्युक्त भारत सरकार के पत्र के आलोक में बिहार राज्य सरकार ने भी संकल्प संख्या-101 दिनांक 19.2.80 द्वारा खरवार (KHARWAR) जाति एवं गोंड़ (GOND) जाति को राज्य में अनु० जनजाति घोषित किया है ।

3. कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के संकल्प संख्या-756 दिनांक 10-11-1978 द्वारा गोड़ (GOUR) जाति को अन्य पिछड़े वर्गों के अत्यन्त पिछड़े वर्ग के सूची के क्रमांक 24 पर अंकित किया है । चूँकि गोड़ (GOUR) जाति अब अनु० जनजाति (GOND) जाति को मिलने वाली सुविधा का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने को अनु० जनजाति गोंड (GOND) जाति कहने का दावा करते हैं, अत: सरकार ने गोड़ (GOUR) जाति के सम्बन्ध में बिहार जन जातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची से प्रतिवेदन प्राप्त कर राज्य उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया ।

4. दिनांक 11-4-90 को राज्य उच्च स्तरीय समिति ने बिहार जनजाति कल्याण शोध संस्थान, राँची के प्रतिवेदन पर विचार किया और उनके निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में रहने वले गोड़/गोनड /गोंड/गोन्ड/गोंड़ अंग्रेजी में (GOND)अथवा (GONR) अथवा (GOUR) नामक जाति को अनु० जनजाति की सूची में यथावत रखा जा सकता है तथा उन्हें उक्त जाति को देय सभी सुविधाएँ पूर्ववत प्रदान की जा सकती है ।

5. राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि सारण, सिवान, गोपालगंज एवं रोहतास जिलों में बसने वाली गोंड जाति जिन्हें अंग्रेजी में (GOND) अथवा (GOUR) अथवा गोड़, गोंड़ (GONR) नाम से लिखा जाता रहा है, ये सभी एक ही अनु० जनजाति समुदाय के हैं और उन्हें एक ही तरह की सुविधा उपलब्ध करायी जाय । उपर्युक्त चार जिलों में गोंड (GOND) एक ही जनजाति के हैं लेकिन अंग्रेजी भाषा के राजस्व अभिलेखों में कहीं-कहीं उन्हें (GONR) अथवा (GOUR) अंकित किया गया है, परन्तु वास्तव में वे एक ही गोंड (GOND) जाति के सदस्य हैं । उन्हें कोई अलग जाति नहीं समझा जाय । उच्च स्तरीय समिति द्वारा तदनुसार अस्पष्टता (CONFUSION) को दूर करने की अनुशंसा की गयी ताकि भविष्य में सारण, सिवान, गोपालगंज और रोहतास जिला के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं हो ।

6. अतः भली-भाँति विचार करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के आलोक में सम्पूर्ण बिहार राज्य में बसने वाली गोड़ (GOUR) तथा गोंड (GOND) तथा गोंड़ (GONR) जाति को एक ही मानते हुए सभी को जनजाति का सदस्य घोषित किया गया। अतः उन्हें अनुसूचित जनजाति की तरह सुविधाएँ उपलब्ध होगी जिस तरह राज्य के अन्य क्षेत्रों में बसने वाली गोंड (GOND) जाति को सुविधाएँ जैसा कि पूर्व से प्राप्त है। गोंड (GOND) या गोड़ (GOUR) या गोंड़ (GONR) जाति सम्पूर्ण बिहार राज्य में अनु० जनजाति पूर्ववत माने जायेंगे और अनु० जन जाति को मिलने वाली सभी सुविधाएँ भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार उन्हें यथावत मिलते रहेगीं । इस जाति को जाति प्रमाण-पत्र अनु० जन जाति की तरह उपलब्ध करायी जायेगी । प्रमाण-पत्र में हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी (GOND) शब्द अंकित किया जायेगा ।

7. कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र अब विलोपित समझे जायेंगे ।

आदेश : आदेश है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी सम्प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 11/वि० 1-26/89 का० 25 पटना -15, दिनांक 25 फरवरी, 91

प्रतिलिपि, आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार / मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय / निदेशक, जन जाति कल्याण शोध संस्थान, राँची / अधीक्षक, मुद्रणालय,

गुलजारबाग / राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय निकायों / निगमों / लोक क्षेत्र उपक्रमों / पर्षदों / सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों / ए श्री लाल बाबू साह, सचिव, बिहार राज्य गोंड महासभा, एम० आई० जी० (एच) 187, कंकड़बाग कोलनी, पटना-20 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इसकी प्राप्ति की सूचना दें तथा अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों, लोक क्षेत्र उपक्रमों, पर्षदों आदि को अविलम्ब सूचित करा दें ।

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना से अनुरोध है कि इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग को शीघ्र भेजने की कृपा करें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या-11/आ० वि०स०1-259/90 का०-19

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री राधा रमण सिंह, सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 7 फरवरी, 91

विषय :- सरकारी सेवा में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद पर कालावधि का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या-9277 दिनांक 29-5-71 की कंडिका-4 के अनुपालन में गृह (आरक्षी) विभाग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने गृह (आरक्षी) विभाग के नियंत्रणाधीन महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय के निम्नलिखित पदों पर प्रोन्नति हेतु निम्नांकित कालावधि निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

क्र०सं०	निम्नतर पद एवं वेतनमान	उच्चतर पद एवं वेतनमान	कालावधि
1.	सहायक अवर निरीक्षक टंकक (एम) (1320-2040)	आरक्षी अवर निरीक्षक (एम) (1400-2300)	5 (पाँच) वर्ष
2.	आरक्षी अवर निरीक्षक (एम) (1400-2300)	कनीय प्रवर कोटि आरक्षी अवर निरीक्षक (एम) (1500-2740)	5 (पाँच) वर्ष
3.	कनीय प्रवर कोटि आरक्षी अवर निरीक्षक (एम) (1500-2740)	वरीय प्रवर कोटि आरक्षी अवर निरीक्षक (एम) (1640-2900)	3 (तीन) वर्ष
4.	आरक्षी निरीक्षक (एम) (1640-2900)	कनीय प्रवर कोटि आरक्षी निरीक्षक (एम) (1800-3330)	3 (तीन) वर्ष
5.	कनीय प्रवर कोटि आरक्षी निरीक्षक (एम) (1800-3330)	वरीय प्रवर कोटि आरक्षी निरीक्षक (एम) (2000-3800)	2 (दो) वर्ष
6.	वरीय प्रवर कोटि आरक्षी (एम) (2000-3800)	आरक्षी उपाधीक्षक (एम) (2200-4000)	5 (पाँच) वर्ष

कालावधि की गणना निम्नतर पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी ।

विश्वासभाजन,
ह०/- राधा रमण सिंह
सरकार के अवर सचिव ।

पत्र संख्या 11/आ० 2 नि०-107/90 का०-10

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

अशोक कुमार चौधरी, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता, सहरसा/उपायुक्त, देवघर ।

पटना-15, दिनांक 29 जनवरी, 91

विषय :- बैक लौग तथा जिलास्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू करने हेतु मार्गदर्शन ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 5 दिनांक 1-1-91/894 दिनांक 4-12-90 के प्रसंग में मुझे कहना है कि कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या-3/एस.-2-155/70-3617 नि० दिनांक 24-2-71 में अपूर्ण रिक्तियों को तीन पंचांग (कैलेण्डर)वर्षों तक ले जाने की व्यवस्था की गयी है । इसके अनुसार हरिजन तथा आदिवासी उम्मीदवारों के लिए जो रिक्तियाँ हैं, वे अगर योग्य उम्मीदवार के अभाव में न भरी जा सकी हों तो कुल तीन भर्ती वर्ष तक 'कैरी फारवार्ड' की जाए । तृतीय वर्ष में अगर यह पाया जाए कि योग्य हरिजन उम्मीदवार हरिजनों के लिए सुरक्षित पदों के लिए उपलब्ध नहीं हैं या योग्य आदिवासी उम्मीदवार आदिवासी के लिए सुरक्षित पदों के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो हरिजनों के लिए सुरक्षित पदों पर आदिवासियों को और आदिवासियों के लिए सुरक्षित पदों पर हरिजनों को बहाल किया जा सकता है ।

2. कार्मिक विभाग का संकल्प संख्या-147 दिनांक 21-11-90 द्वारा जिला एवं प्रमंडलों की सीधी नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/आर्थिक दृष्टि से कमजोर/महिला एवं विकलांगों के लिए 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत आरक्षण लागू किया गया है जो कि दिनांक 21-11-90 से प्रभावी हो गया है तथा इसके साथ जो 100 विन्दु का मॉडल रोस्टर संलग्न कर भेजा गया है, वह भी दिनांक 21-11-90 से प्रभावी होगा ।

3. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिक विभाग का संकल्प संख्या-5305 दिनांक 10-4-73 द्वारा अनु० जाति/जनजाति के लिए सीधी नियुक्ति में जो आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी तथा उसे लागू करने के लिए जो मॉडल रोस्टर परिचारित किया गया था, वह अब प्रभावी नहीं रहेगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/- अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 11/आ० 2-नि०-107/90 का०-10 पटना-15, दिनांक 29-1-91

प्रतिलिपि- आरक्षण आयुक्त, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या 11/का०-10-47/89-का०-146

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक

श्री भास्कर बैनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्कत, बिहार ।

सेवा में

सभी आयुक्त एवं सचिव

सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक 21 नवम्बर, 1990 ।

विषय- आरक्षित गैर-आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु कालावधि में अधिकाधिक छूट देने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार यह सूचित करना है कि दिनांक 30 मई, 1989 को आरक्षित कोटि की रिक्तियों को 31 दिसम्बर, 1989 तक निश्चित रूप से भरने हेतु मंत्रिमंडल को उक्कत बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये थे :-

सेवा में आरक्षित पदों पर प्रोन्नति देने के लिये कालावधि में अधिकाधिक छूट दी जायेगी । परन्तु कालावधि में छूट कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य मंत्री आदेशोपरान्त देय होगा ।

वर्त्तमान में आदेय कालावधि में और कितनी अधिक छूट दी जाय इस पर कार्मिक विभाग सरकार का नीतिगत निर्णय प्राप्त करेगी ।

2. उपर्युक्त निर्णय पर भली-भांति गहराई से जांच की गयी। सरकार की यह स्पष्ट मंशा रही है कि आरिक्षत पदों पर यथासंभव आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को ही प्रोन्नति दी जाय। अत: वर्त्तमान में दें कालावधि में सामान्य वर्ग

की तुलना में आरक्षित वर्ग को एक वर्ष अधिक छूट की व्यवस्था कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 11601, दिनांक 20 अक्टूबर, 1982 एवं संकल्प संख्या 253, दिनांक 19 अप्रील 1985 में निम्नलिखित रूप से विहित है :-

संकल्प संख्या 11601, दिनांक 20 अक्टूबर, 1982 की कंडिका 4 (क)।-"किसी भी स्तर पर प्रोन्नति हेतु उसमें ठीक नीचें के स्तर का उन पदाधिकारी के बारे में विचार किया जाय जो पूर्व से निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा कर लिये हों । इस कार्रवाई के बाद प्रथम समव्यवहार बन्द समझा जाय।"

संकल्प संख्या 253, दिनांक 18 अप्रील, 1985 की परन्तुक उप-कंडिका 4 (क) । -"प्रथम समव्यवहार में कालावधि प्राप्त गैर-आरक्षित व्यक्तियों को प्रोन्नति उन्हीं रिक्तियों पर दी जायेगी जो रिक्तियों अनुमोदित रोस्टर के अनुसार गैर-आरक्षित वर्ग को अनुमान्य होगी। किसी भी हालत में गैर-आरक्षित वर्ग के कालावधि प्राप्त व्यक्तियों को आरक्षित वर्ग के लिये अनुमान्य रिक्ति के विरुद्ध प्रोन्नति नहीं दी जायेगी, भले ही प्रथम समव्यवहार में कालावधि प्राप्त आरक्षित वर्ग को उम्मीदवार अनुपलब्ध हो ।"

संकल्प संख्या 11601, दिनांक 20 अक्टूबर, 1982 की कंडिका 4(ख)।--"प्रथम समव्यवहार के बाद भी यदि प्रोन्नति हेतु रिक्तियां बच जाती हैं तो निर्धारित न्यूनतम कालावधि में उतनी छूट दी जाय जिसके द्वारा बचे हुए पद के अधिक-से अधिक तीन गुणा आरक्षित/गैर-आरक्षित उम्मीदवार विचार क्षेत्र के अन्दर आ जाते हों । कालावधि में इस प्रकार की छूट देते समय सामान्य जाति के उम्मीदवारों की तुलना में अनुसूचित जाति/जन-जाति के उम्मीदवारों को एक बर्ष की अधिक छूट मिलेगी ।"

संकल्प संख्या 253, दिनांक 18 अगस्त 1983 की परन्तुक कंडिका 4(ख)।--"द्वितीय समव्यवहार में प्रथम समव्यवहार से बची हुई आरक्षित रिक्तियों पर प्रोन्नति देने के लिये मात्र आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में ही विचार किया जायेगा ।"

संकल्प संख्या 11601, दिनांक 20 अक्टूबर, 1982 की कंडिका 4 (ग) ।-"इस प्रकार की छूट देकर द्वितीय समव्यवहार में उम्मीदवारों को विचार क्षेत्र में लाने के लिये प्रशासी विभाग पहले अपने विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात कार्मिक विभाग में मुख्य मंत्री स्तर से सहमति प्राप्त करेंगे ।"

3. इस प्रकार जब प्रथम एवं द्वितीय दोनों समव्यवहारों के बाद भी आरक्षित पद लोकहित में भरने हेतु, अगर थे, बच जाता हो और कार्यहित में पदों का भरा जाना अपरिहार्य हो, तब निर्धारित प्रक्रिया से आरक्षित पदों को अनारक्षित कराने के बाद ही उक्त आरक्षित पद पर गैर-आरक्षित वर्ग के कर्मचारी पदाधिकारी को प्रोन्नति देने पर विचार किया जा सकता है । कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 716, दिनांक 15 दिसम्बर, 1982 की कंडिका 5 (घ) के अनुसार ऐसे अनारक्षण के प्रस्ताव के लिये प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त आरक्षण आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त करना आवश्यक है ।

4. उपर्युक्त संकल्पों द्वारा आरक्षित पदों को आरक्षित वर्ग से भरने के उद्देश्य से गैर-आरक्षित की तुलना में आरक्षित वर्गों को एक वर्ष ज्यादा छूट देने की व्यवस्था पूर्व से लागू है जो यथावत बनी रहेगी । इसमें अब किसी तरह का परिवर्त्तन करने की जरूरत नहीं है ।

अतः इस मामले में भली-भाँति विचारोपरान्त सरकार का अब यह निर्देश हुआ है कि आरक्षण आयुक्त के हस्ताक्षर से निर्गत परिपत्र संख्या 74, दिनांक 9 अगस्त, 1989 को विलोपित किया जाय एवं तत्काल पूर्व से लागू उपर्युक्त व्यवस्था लागू रखी जाय ।

कृपया पत्र-प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

भास्कर बैनर्जी

आरक्षण आयुक्त-सह प्रशासनिक सुधार आयुक्त,

बिहार ।

ज्ञापांक 11/का०-10-47/89-का०-146

पटना-15, दिनांक 21 नवम्बर, 1990 ।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त-सह-योजना परामर्शी (योजना विभाग), बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

भास्कर बैनर्जी

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त,

बिहार ।

सं० 11/अ-4आ० नि०-01/90-का०-147

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

संकल्प

विषय :- **पिछड़े वर्गों के लिये प्रमंडल एवं जिला स्तर के पदों पर आरक्षण की व्यवस्था ।**

राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 755, 756 एवं 757 दिनांक 10 नवम्बर, 1978 के द्वारा सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पूरा करने के उद्देश्य से राज्य की सेवाओं के सभी श्रेणियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 26 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था सीधी नियुक्ति में वैसे परिवारों के लिये ही है, जिनकी आय आयकर की छूट की सीमा से अधिक नहीं हो । यह आदेश राज्य सरकार की सेवाओं के सभी श्रेणियों के उन रिक्तियों पर लागू है, जो दिनांक 31 अक्टूबर, 1978 को और उसके बाद उपलब्ध हुई ।

2. राज्य सरकार ने उक्त संकल्पों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के 26 प्रतिशत आरक्षित पदों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिये 8 प्रतिशत, महिलाओं के लिये 3 प्रतिशत एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये 3 प्रतिशत पद आरक्षित किया है ।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 230, दिनांक 3अप्रील, 1986 के द्वारा सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलायुक्त एवं सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि संकल्प संख्या 755, 756 एवं 757, दिनांक 10 नवम्बर, 1978 द्वारा पिछले वर्गों की अन्य चार श्रेणियों को देय 26 प्रतिशत (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग 8 प्रतिशत, आर्थिक दृष्टि से कमजोर 3 प्रतिशत एवं महिला वर्ग को 3 प्रतिशत) आरक्षण का प्रावधान मात्र राज्य स्तर की रिक्तियों पर ही लागू रहेगा, प्रमंडल एवं जिला स्तर की रिक्तियों पर यह लागू नहीं रहेगा ।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 5305, दिनांक 10 अप्रील, 1973 द्वारा प्रमंडलों एवं जिला में होने वाली रिक्तियों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये जनसंख्या के आधार पर अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित है । किसी जिला में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण प्रतिशत अधिक है तो किसी जिला में अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण का प्रतिशत अधिक है । लेकिन प्रमंडल एवं जिलों में पिछड़े

वर्गों के लिये आरक्षण की सुविधा नहीं दी गयी है । इसके कारण सरकार को शिकायतें प्राप्त होती रही हैं तथा बिहार विधान सभा में भी यह चर्चा का विषय बना रहा है ।

5. अत: सम्यक् विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जितनी प्रतिशत जनसंख्या है, उसी प्रतिशत के अनुपात में दोनों जातियों के लिये आरक्षण देनेके बाद 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत शेष रिक्तियों में से अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं महिला के लिये पद आरक्षित किया जाय । उदाहरणस्वरूप, रांची जिले में कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति 56.42 प्रतिशत है एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5.14 प्रतिशत है । इस जिले में पूर्व से निर्धारित 45 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिये एवं 5 प्रतिशत है । इस जिले में पूर्व से निर्धारित 45 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिये एवं 5 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति के लिये कायम रखा जायगा । दूसरे शब्दों में पिछड़े वर्गों के लिये कोई आरक्षण नहीं होगा । पटना जिला में अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या का 15.48 प्रतिशत एवं जनजाति कुल जनसंख्या का 0.22 प्रतिशत है । ऐसी हालत में अनुसूचित जाति के लिये 15 प्रतिशत एवं जनजाति के लिये 6 प्रतिशत आरक्षण देने के बावजूद भी 29 प्रतिशत रिक्तियां बच जाती हैं । इन रिक्तियों को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/महिला/एवं विकलांगों के लिये (क्रमश: 12+8+3+3+3) किया गया है । दूसरे शब्दों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये आरक्षण को बिना प्रभावित किये जिला एवं प्रमंडल स्तर की रिक्तियों में भी अत्यन्त पिछड़ा/पिछड़ा वर्ग / आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/महिला एवं विकलांगों के लिये आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ।

6. प्रमंडल/जिलावार विभिन्न वर्गों के लिए आदर्श रोस्टर की प्रतिलिपि परिशिष्ट i एवं ii के रूप में संलग्न है । यह रोस्टर 1981 की जनगणना के आधार पर बनाया गया है । चूंकि जनसंख्या के आंकड़े केवल पुराने 31 जिलों में लिये उपलब्ध हैं और इन्हीं 31 जिलों में से बाद में 11 और जिले बनाये गये, जिनकी जनसंख्या पुराने जिलों में ही सम्मिलित है, अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि नये प्रमंडलों एवं जिलों के लिये वही रोस्टर होगा, जो उनके पुराने जिलों या प्रमंडल के लिये निर्धारित है ।

7. आरक्षण सम्बन्धी सभी प्रक्रिया वही होगी, जो अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लिये लागू है । यह आरक्षण प्रोन्नति में नहीं, केवल प्रथम सीधी नियुक्ति में होगा ।

8. अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लिये तीन भर्त्ती वर्ष तक रिक्तियां अग्रणीत रहेंगी ।

9. यह आदेश दिनांक 21 नवम्बर, 1990 से लागू माना जायेगा ।

10. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प संख्या 5305, दिनांक 10 अप्रील, 1978 तथा 347, दिनांक 7 जून, 1986 को उपर्युक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा । कार्मिक विभाग का संकल्प 756, दिनांक, 10 नवम्बर, 1978 में पिछड़े वर्गों की सूची तथा अत्यन्त पिछड़े वर्ग के नाम की सूची अलग-अलग संलग्न है ।

आदेश :- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/बिहार लोक-सेवा आयोग/बिहार राज्य अवर-सेवा चयन पर्षद/सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 11/अ०-4आ० नि०-01/90 का०-147

पटना-15, दिनांक 21 नवम्बर, 19901

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी 5,000 अतिरिक्त प्रतियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाय।

अशोक कुमार चौधरी,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 11-अ०-4आ० नि०-01/90-का०-147

पटना, दिनांक 21 नवम्बर, 1990।

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, लोक-उद्यम ब्यूरो/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अशोक कुमार चौधरी,

सरकार के सचिव।

1981 की जनगणना के आधार पर प्रमंडल एवं जिला में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति को कुल जनसंख्या का आरक्षण प्रतिशत के आलोक में अन्य पिछड़े वर्गों को आदेय शेष आरक्षण प्रतिशत की स्थिति।

प्रमंडल/जिलों	अनुसूचित जाति	जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण					
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	महिला	आर्थिक पिछड़ा	विकलांग	योग प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क) पटना प्रमंडल	20(19.64)	1(0.38)	12	6	3	3	..	50
1. पटना..	15(15.48)	6(0.22)	12	8	3	3	..	50
2. नालन्दा ..	19(19.12)	2(0.0)	12	8	3	3	..	50
3. गया ..	26(25.72)	1(0.64)	9	6	3	2	..	50
4. औरंगाबाद ..	23(22.8)	1(0.0)	10	7	3	3	..	50
5. नवादा ..	24(24.48)	1(0.18)	9	7	3	3	..	50
6. भोजपुर ..	15(14.54)	6(0.25)	12	8	3	3	..	50
7. रोहतास ..	19(18.77)	2(1.64)	12	8	3	3	..	50
(ख) तिरहुत प्रमंडल	14(13.69)	7(0.39)	12	8	3	3	..	50
8. सारण ..	14(11.27)	7(0.42)	12	8	3	3	..	50
9. सिवान ..	14(10.85)	7(0.67)	12	8	3	3	..	50
10. गोपालगंज ..	14(12.11)	7(0.72)	12	8	3	3	..	50
11. पूर्वी चम्पारण	14(13.23)	7(0.88)	12	8	3	3	..	50
12.. प० चम्पारण ..	14(14.17)	7(0.14)	12	8	3	3	..	50
13.मुजफ्फरपुर ..	16(15.61)	5(0.14)	12	8	3	3	3	50
14. वैशाली ..	19(19.36)	2(0.60)	12	8	3	3	3	50
15.सीतामढ़ी ..	14(12.37)	7(0.0)	12	8	3	3	3	50
(ग) दरभंगा प्रमंडल	15(14.82)	6(0.0)	12	8	3	3	3	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. दरभंगा	16(14.59)	6(0.0)	12	8	3	3	3	50
17. समस्तीपुर ..	18(17.67)	3(0.0)	12	8	3	3	3	50
18. मधुबनी ..	14(12.81)	7(0.0)	12	8	3	3	3	50
19. बेगुसराय ..	14(14.21)	7(0.0)	12	8	3	3	3	50
(ङ) भागलपुर प्रमंडल	12(11.63)	16(15.75)	8	5	3	3	3	50
20. मुंगेर जिला	16(15.72)	5(1.44)	12	8	3	3	3	50
21. भागलपुर जिला	14(10.99)	7(3.31)	12	8	3	3	3	50
22. संथाल परगना	8(8.39)	31(30.80)	3	1	3	1	3	50
(च) कोशी प्रमंडल	14(13.05)	7(2.66)	12	8	3	3	3	50
23. सहरसा जिला	16(16.04)	5(0.41)	12	8	3	3	3	50
24. पूर्णियां जिला	14(12.15)	7(0.12)	12	8	3	3	3	50
25. कटिहार जिला	14(9.09)	7(6.99)	12	8	3	3	3	50
(छ) उ० छोटानागपुर प्रमंडल	16(16.08)	10(10.19)	10	5	3	3	3	50
26. धनबाद जिला	16(15.85)	10(10.19)	10	5	3	3	3	50
27. हजारीबाग ..	19(18.88)	9(0.05)	8	5	3	3	3	50
28. गिरीडीह ..	18(18.04)	13(13.00)	6	4	3	3	3	50
(ज) द० छोटानागपुर प्रमंडल ।	10(9.85)	40(42.62)	..	..	..	..	..	50
29. रांची जिला ..	5(5.14)	45(56.42)	..	..	..	..	..	50
30. पलामू जिला ..	25(24.93)	19(18.82)	..	..	3	..	3	50
31. सिंहभूम जिला	5(4.79)	44(44.09)	..	..	..	..	1	50

परिशिष्ट II

(क) पटना प्रमंडल

		आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत					
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला	विकलांग	कुल आरक्षण
20 प्रतिशत	1 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

(1) अनुसूचित जाति – 2, 7, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 52, 57, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 – 20 पद ।

(2) अनुसूचित जनजाति – 11–1 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 3, 8, 12, 24, 34, 49, 53, 58, 62, 74, 84, 99 – 12 पद ।

(4) पिछड़ा वर्ग – 6, 14, 29, 39, 56, 64, 79, 89 – 8 पद ।

(5) आर्थिक पिछड़ा वर्ग – 4, 54, 98 – 3 पद

(6) आर्थिक महिला – 9, 27, 81 – 3 पद ।

(7) विकलांग – 17, 48, 91 – 3 पद ।

(8) अनारक्षित – 1, 5, 10, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 55, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 97 – 50 पद ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत				विकलांग	कुल आरक्षण
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला		
15 प्रतिशत	6 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

पटना जिला (1)

(1) अनुसूचित जाति का आरक्षित बिन्दुयें – 2, 7, 15, 25, 35, 40, 45, 50, 52, 57, 65, 75, 85, 90, 100, 104 – 15 पद ।

(2) अनुसूचित जनजाति का आरक्षित बिन्दुयें – 11, 20, 30, 70, 80, 95, – 6 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का आरक्षित बिन्दुयें – 3, 8, 12, 24, 34, 49, 53, 58, 61, 74, 84, 99 – 12 पद ।

(4) पिछड़ा वर्ग की आरक्षित बिन्दुयें – 6, 14, 29, 39, 56, 64, 79, 89 – 8 पद ।

(5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का आरक्षित बिन्दुयें – 4, 54, 98 – 3 पद ।

(6) आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिला का आरक्षित बिन्दुयें – 9, 27, 81 – 3 पद ।

(7) विकलांग की आरक्षित बिन्दुयें – 17, 48, 91 – 3 पद ।

(8) अनारक्षित बिन्दुयें – 1, 5, 10, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 55, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 97 – 50 पद ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत				विकलांग	कुल आरक्षण
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला		
19 प्रतिशत	2 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

नालन्दा जिला (2)

(1) अनुसूचित जाति का आरक्षित बिन्दुयें – 2, 7, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 52, 57, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 – 19 पद।

(2) अनुसूचित जनजाति का आरिक्षत बिन्दुयें – 11, 95 – 2 पद।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का आरिक्षत बिन्दुयें – 3, 8, 12, 24, 34, 49, 53, 58, 62, 74, 84, 99 – 12 पद।

(4) पिछड़ा वर्ग का आरक्षित बिन्दुयें – 6, 14, 29, 39, 56, 64, 79, 89 – 8 पद।

(5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का आरक्षित बिन्दुयें – 4, 54, 98 – 3 पद।

(6) आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिला का आरक्षित बिन्दुयें – 9, 27, 81 – 3 पद।

(7) विकलांग के लिये आरक्षित बिन्दुयें – 17, 48, 91 – 3 पद।

(8) अनारक्षित बिन्दुयें – 1, 5, 10, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 55, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 97 – 50 पद।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत							
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला	विकलांग	कुल आरक्षण
26 प्रतिशत	1 प्रतिशत	9 प्रतिशत	6 प्रतिशत	2 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

गया जिला (3)

(1) अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दुयें –2, 7, 8, 15, 20, 24, 25, 29, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 54, 57, 65, 70, 74, 75, 79, 80, 85, 90, 95, 100 – 26 पद ।

(2) अनुसूचित जनजाति का रोस्टर बिन्दुयें – 11– 1 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दुयें – 3, 12, 34, 49, 53, 58, 62, 84, 99 – 9 पद ।

(4) पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दुयें – 6, 14, 39, 56, 64, 89 – 6 पद ।

(5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का रोस्टर बिन्दुयें – 4, 98 – 2 पद ।

(6) आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिला का रोस्टर बिन्दुयें – 9, 27, 81 – 3 पद ।

(7) विकलांग के लिये आरक्षित बिन्दुयें – 17, 48, 91 – 3 पद ।

(8) अनारक्षित – 1, 5, 10, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 55, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 97 – 50 पद ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत				विकलांग	कुल आरक्षण
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला		
23 प्रतिशत	1 प्रतिशत	10 प्रतिशत	7 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

औरंगाबाद जिला (4)

(1) अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दुयें - 2, 7, 15, 20, 24, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 52, 57, 65, 70, 74, 75, 79, 80, 85, 90, 95, 100 - 23 पद।

(2) अनुसूचित जनजाति का रोस्टर बिन्दुयें - 11 - 1 पद।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दुयें - 3, 8, 12, 34, 49, 53, 58, 62, 84, 99 - 10 पद।

(4) पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दुयें - 6, 14, 29, 39, 56, 64, 89 - 7 पद।

(5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का रोस्टर बिन्दुयें - 4, 54, 98 - 3 पद।

(6) आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिला का आरक्षित बिन्दुयें - 9, 27, 81 - 3 पद।

(7) विकलांग के लिये रोस्टर बिन्दुयें - 17, 48, 91 - 3 पद।

(8) अनारक्षित रोस्टर बिन्दुयें — 1, 5, 10, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 55, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 97 — 50 पद।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत				विकलांग	कुल आरक्षण
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला		
24 प्रतिशत	1 प्रतिशत	9 प्रतिशत	7 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

नवादा जिला (5)

(1) अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दु – 2, 7, 15, 20, 24, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 52, 53, 57, 65, 70, 74, 75, 79, 80, 85, 90, 95, 99, 100 - 24 पद ।

(2) अनुसूचित जनजाति का रोस्टर बिन्दु – 11-1 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु – 3, 8, 12, 34, 49, 53, 58, 62, 84 - 9 पद ।

(4) पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु – 6, 14, 29, 39, 56, 64, 89 - 7 पद ।

(5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का रोस्टर बिन्दु – 4, 54, 98 - 3 पद ।

(6) आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिला का रोस्टर बिन्दु – 9, 27, 81 - 3 पद

(7) विकलांग के लिये आरक्षित बिन्दुयें – 17, 48, 91 - 3 पद ।

(8) अनारक्षित रोस्टर बिन्दु – 1, 5, 10, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 55, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 97 – 50 पद ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत				विकलांग	कुल आरक्षण
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला		
15 प्रतिशत	6 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

भोजपुर जिला (6)

(1) अनुसूचित जाति – 2, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 52, 65, 70, 75, 85, 90, 95, 100 - 15 पद

(2) अनुसूचित जनजाति – 7, 11, 30, 50, 57, 80 - 6 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 12 पद ।

(4) पिछड़ा वर्ग – 8 पद ।

(5) आर्थिक पिछड़ा वर्ग – 3 पद ।

(6) महिला वर्ग – 3 पद ।

(7) विकलांग – 3 पद ।

(8) अनारक्षित – 50 पद ।

(3) से (8) तक: पटना जिला के आदर्श रोस्टर के अनुरूप लागू होगा ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत				विकलांग	कुल आरक्षण
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला		
19 प्रतिशत	2 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

रोहतास जिला (7)

(1) अनुसूचित जाति – 2, 7, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 52, 57, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 - 19 पद ।

(2) अनुसूचित जनजाति – 11, 95 - 2 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा – 12 पद ।

(4) पिछड़ा वर्गं – 8 पद ।

(5) आर्थिक दृष्टि से – 3 पद ।

(6) महिला – 3 पद ।

(7) विकलांग – 3 पद ।

(8) अनारक्षित बिन्दुयें – 50 पद ।

(2) से (8) तक: आदर्श रोस्टर नालन्दा जिला के अनुसार लागू होगा ।

(ख) तिरहुत प्रमंडल

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत				विकलांग	कुल आरक्षण
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला		
14 प्रतिशत	7 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

(1) अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दुयें एवं पद – 2, 7, 15, 25, 35, 45, 50, 52, 57, 65, 85, 75, 95, 100 – 14 पद ।

(2) जनजाति का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 11, 20, 30, 40, 70, 80, 90 –7 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु – 3, 8, 12, 24, 34, 49, 53, 58, 62, 74, 84, 99 – 12 पद ।

(4) पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 6, 14, 29, 39, 56, 64, 79, 89 –8 पद ।

(5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग – 4, 54, 98 – 3 पद ।

(6) आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिला – 9, 27, 81 – 3 पद ।

(7) विकलांग – 17, 48, 91 – 3 पद ।

(8) अनारक्षित रोस्टर बिन्दुयें – 1, 5, 10, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 55, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 97 – 50 पद ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत				विकलांग	कुल आरक्षण
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला		
14 प्रतिशत	7 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

(8) सारण, (9) सिवान, (10) गोपालगंज, (11) पूर्वी चम्पारण, (12) पश्चिमी चम्पारण एवं (13) सीतामढ़ी जिलों के लिये।

(1)	अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 14 पद।	तिरहुत प्रमंडल का रोस्टर लागू होगा।
(2)	अनुसूचित जनजाति का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 7 पद।	
(3)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 12 पद।	
(4)	पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 8 पद।	
(5)	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का रोस्टर बिन्दु – 3 पद।	
(6)	आर्थिक पिछड़ी महिला का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 3 पद।	
(7)	विकलांग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 3 पद।	
(8)	अनारक्षित रोस्टर बिन्दुयें एवं पद – 50 पद।	

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत				विकलांग	कुल आरक्षण
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला		
16 प्रतिशत	5 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

मुजफ्फरपुर जिला (14)

(1) अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 2, 7, 15, 25, 35, 40, 45, 50, 52, 57, 65, 75, 85, 90, 95, 100 – 16 पद ।

(2) अनुसूचित जनजाति का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 11, 20, 30, 70, 80 – 5 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 12 पद । (4) पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 8 पद । (5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 3 पद । (6) आर्थिक पिछड़ी महिला का रोस्टर बिंन्दु एवं पद – 3 पद । (7) विकलांग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 3 पद । (8) अनारक्षित बिन्दुयें एवं पद – 50 पद ।	तिरहुत प्रमंडल का रोस्टर लागू रहेगा ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत				विकलांग	कुल आरक्षण
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला		
19 प्रतिशत	2 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

वैशाली जिला (15)

(1) अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 19 पद ।

(2) अनुसूचित जनजाति का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 2 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 12 पद ।

(4) पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 8 पद ।

(5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 3 पद ।

(6) आर्थिक पिछड़ी महिला वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 3 पद ।

(7) विकलांग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 3 पद ।

(8) अनारक्षित का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 50 पद ।

} नालन्दा जिला का रोस्टर लागू रहेगा ।

(ग) दरभंगा प्रमंडल

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत				विकलांग	कुल आरक्षण
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला		
14 प्रतिशत	6 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4.	5	6	7	8

दरभंगा जिला (16)

(1)	अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दुएँ एवं पदों की संख्या – 14 पद ।	पटना जिला का रोस्टर लागू रहेगा ।
(2)	अनुसूचित जनजाति का रोस्टर बिन्दुयें एवं पदों की संख्या – 6 पद ।	
(3)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दुयें एवं पदों की संख्या – 12 पद ।	
(4)	पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दुयें एवं पदों की संख्या – 8 पद ।	
(5)	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का रोस्टर बिन्दुयें एवं पदों की संख्या – 3 पद	
(6)	महिला वर्ग का रोस्टर बिन्दुएं एवं पदों की संख्या – 3 पद ।	
(7)	विकलांग का रोस्टर बिन्दुयें एवं पदों की संख्या – 3 पद ।	
(8)	अनारक्षित बिन्दुयें एवं पदों की संख्या – 50 पद ।	

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत				विकलांग	कुल आरक्षण
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला		
18 प्रतिशत	3 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

समस्तीपुर जिला (17)

(1) अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 2, 7, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 57, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 - 18 पद ।

(2) अनुसूचित जनजाति का रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 11, 52, 95 - 3 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 12 पद ।

(4) पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 8 पद ।

(5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 3 पद ।

(6) महिला वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 3 पद ।

(7) विकलांग का रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 3 पद ।

(8) अनारक्षित रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 50 पद ।

} नालन्दा जिला का रोस्टर लागू रहेगा।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत				विकलांग	कुल आरक्षण
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला		
14 प्रतिशत	7 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

मधुबनी (18) एवं बेगूसराय जिला (19)

(1)	अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 14 पद ।	तिरहुत प्रमंडल का रोस्टर लागू रहेगा ।
(2)	अनुसूचित जनजाति का रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 7 पद ।	
(3)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 12 पद ।	
(4)	पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 8 पद ।	
(5)	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 3 पद ।	
(6)	महिला वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 3 पद ।	
(7)	विकलांग का रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 3 पद ।	
(8)	अनारक्षित वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पदों की संख्या – 50 पद ।	

(घ) भागलपुर प्रमंडल

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत				विकलांग	कुल आरक्षण
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला		
12 प्रतिशत	16 प्रतिशत	8 प्रतिशत	5 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

(1) अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण बिन्दु एवं पद – 2, 7, 15, 25, 45, 52, 54, 65, 75, 85, 90, 100 – 12 पद ।

(2) अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण बिन्दु एवं पद – 8, 11, 20, 24, 25, 29, 30, 40, 49, 50, 56, 70, 80, 84, 89, 95 – 16 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 3, 12, 14, 53, 58, 62, 74, 99 – 8 पद ।

(4) पिछड़ा वर्ग – 6, 14, 19, 64, 79 – 5 पद ।

(5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग – 4, 54, 68 – 3 पद ।

(6) महिला – 9, 27, 81 – 3 पद ।

(7) विकलांग – 17, 48, 91 – 3 पद ।

(8) अनारक्षित बिन्दुयें एवं पद – 50 पद ।

नोट : – अनारक्षित बिन्दुओं के लिये पटना प्रमंडल का रोस्टर लागू रहेगा ।

		आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा के लिये आरक्षण प्रतिशत					
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला	विकलांग	कुल आरक्षण
16 प्रतिशत	5 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

मुंगेर जिला (20)

(1) अनुसूचित जाति के लिये रोस्टर बिन्दुयें एवं पदों की संख्या – 16 पद ।
(2) अनुसूचित जनजाति के लिये रोस्टर बिन्दुयें एवं पदों की संख्या – 5 पद ।
(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 12 पद ।
(4) पिछड़ा वर्ग लिये – 8 पद ।
(5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग – 3 पद ।
(6) महिला के लिये – 3 पद ।
(7) विकलांग के लिये – 3 पद ।
(8) अनारक्षित बिन्दुयें एवं पद – 50 पद ।

} मुजफ्फरपुर जिला का रोस्टर लागू रहेगा ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला	विकलांग
14 प्रतिशत	7 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

भागलपुर जिला (21)

(1) अनुसूचित जाति का आरक्षण रोस्टर बिन्दुयें एवं कुल पद – 14 पद । (2) अनुसूचित जन-जाति का आरक्षण रोस्टर बिन्दुयें एवं पद – 7 पद । (3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 12 पद । (4) पिछड़ा वर्ग – 8 पद । (5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग – 3 पद । (6) आर्थिक पिछड़ी महिला – 3 पद । (7) विकलांग – 3 पद । (8) अनारक्षित रोस्टर बिन्दुयें एवं पद – 50 पद ।	तिरहुत प्रमंडल का रोस्टर लागू रहेगा ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला	विकलांग
8 प्रतिशत	31 प्रतिशत	5 प्रतिशत	1 प्रतिशत	1 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

संथाल परगना जिला (22)

(1) अनुसूचित जाति के लिये रोस्टर बिन्दु एवं पद – 2, 7, 15, 35, 45, 57, 65, 85 - 8 पद ।

(2) अनुसूचित जनजाति के लिये – 6, 8, 11, 12, 20, 24, 25, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 64, 70, 74, 75, 79, 80, 84, 89, 90, 95, 98, 100 - 31 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 3, 34, 99 - 3 पद ।

(4) पिछड़ा वर्ग – 14 - 1 पद ।

(5) आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग – 4 - 1 पद ।

(6) महिला – 9, 27, 81 - 3 पद ।

(7) विकलांग – 17, 48, 91 - 3 पद ।

(8) अनारक्षित रोस्टर बिन्दुयें एवं कुल पद – 50 पद ।

नोट : - अनारक्षित बिन्दु के लिये तिरहुत प्रमंडल के अनुसार रोस्टर लागू होगा ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला	विकलांग
14 प्रतिशत	7 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

(च) कोशी प्रमंडल

(24) पूर्णियां, (25) कटिहार जिले के लिये रोस्टर

(1)	अनुसूचित जाति का बिन्दु एवं पद – 14	तिरहुत प्रमंडल के अनुसार रोस्टर लागू होगा ।
(2)	अनुसूचित जन-जाति का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 7 पद	
(3)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग रोस्टर बिन्दु एवं पद – 12	
(4)	पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 8	
(5)	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग रोस्टर बिन्दु एवं पद – 3	
(6)	महिला वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 3	
(7)	विकलांग के लिये रोस्टर बिन्दु एवं पद – 3	

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला	विकलांग
16 प्रतिशत	5 प्रतिशत	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

(23) सहरसा जिला

मुजफ्फरपुर जिला के रोस्टर के अनुसार आरक्षण लागू होगा ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला	विकलांग
16 प्रतिशत	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत	5 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

(छ) उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल

(1) अनुसूचित जाति का आरक्षण रोस्टर बिन्दु एवं पद – 2, 7, 15, 25, 35, 40, 45, 50, 52, 56, 57, 65, 75, 85, 90, 100 - 16 पद ।

(2) अनुसूचित जन-जाति का आरक्षण रोस्टर बिन्दु एवं पद – 3, 11, 20, 29, 30, 53, 64, 70, 80, 95 - 10 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 8, 12, 24, 34, 49, 58, 62, 74, 84, 99 - 10 पद

(4) पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 6, 14, 39, 79, 89 - 5 पद ।

(5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग रोस्टर बिन्दु एवं पद – 4, 54, 98 - 3 पद ।

(6) महिला रोस्टर बिन्दु एवं पद – 9, 27, 81 - 3 पद ।

(7) विकलांग रोस्टर बिन्दु एवं पद – 17, 48, 91 - 3 पद

(8) अनारक्षित रोस्टर बिन्दुयें एवं पद – 1, 5, 10, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 55, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 97 – 50 पद ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला	विकलांग
19 प्रतिशत	9 प्रतिशत	8 प्रतिशत	5 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

हजारीबाग जिला

(1) अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 2, 7, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 52, 57, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 - 19 पद ।

(2) अनुसूचित जन-जाति का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 3, 8, 11, 14, 29, 39, 64, 79, 95 - 9 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर एवं बिन्दु पद – 12, 24, 34, 49, 53, 58, 84, 99 - 8 पद ।

(4) पिछड़ा वर्ग रोस्टर बिन्दु एवं पद – 6, 56, 62, 74, 89 - 5 पद ।

(5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 4, 54, 98 - 3 पद ।

(6) महिला का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 9, 27, 81 - पद ।

(7) विकलांग का रोस्टर बिन्दु एवं पद – 17, 48, 91 - 3 पद ।

(8) अनारक्षित बिन्दुओं के लिये रोस्टर बिन्दु एवं पद - उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अनुसार रोस्टर लागू होगा ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला	विकलांग
18 प्रतिशत	13 प्रतिशत	6 प्रतिशत	4 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

गिरीडीह जिला

(1) अनुसूचित जाति का आरक्षण बिन्दु – 2, 7, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 52, 57, 65, 70, 75, 80, 85, 90 – 18 पद ।

(2) अनुसूचित जन-जाति का आरक्षण बिन्दु – 3, 8, 11, 14, 29, 49, 62, 64, 74, 79, 84, 95, 100 – 13 पद ।

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 12, 24, 34, 53, 58, 99 – 6 पद ।

(4) पिछड़ा वर्ग – 6, 39, 56, 89 – 4 पद ।

(5) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग – 4, 54, 98 – 3 पद ।

(6) महिला – 9, 27, 81 – 3 पद ।

(7) विकलांग – 17, 48, 91 – 3 पद ।

(8) अनारक्षित श्रेणी की – शेष 50 बिन्दुयें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के रोस्टर बिन्दु के तरह लागू रहेगा ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला	विकलांग
10 प्रतिशत	40 प्रतिशत	0 प्रतिशत	0 प्रतिशत	0 प्रतिशत	0 प्रतिशत	0 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

(ज) दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल

(1) अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दु – 7, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 – 10 पद ।

(2) अनुसूचित जन-जाति का आरक्षित बिन्दु – 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 25, 27, 29, 34, 35, 39, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 64, 65, 74, 75, 79, 81, 84, 85, 89, 91, 95, 98, 99 – 40 पद ।

(3) अनारक्षित बिन्दु – 1, 5, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 97 – 50 पद ।

नोट :– अत्यन्त पिछड़ा/पिछड़ा/आर्थिक पिछड़ी महिला/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा विकलांगों के लिये आरक्षण रोस्टर की व्यवस्था नहीं की गयी है । चूँकि अनुसूचित जाति/जन-जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से ज्यादा है ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला	विकलांग
5 प्रतिशत	45 प्रतिशत	0 प्रतिशत	0 प्रतिशत	0 प्रतिशत	0 प्रतिशत	0 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

(29) रांची जिला

(1) अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दु – 7, 20, 50, 80, 90 – 5 पद ।

(2) अनुसूचित जन-जाति का रोस्टर बिन्दु – 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 25, 27, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 64, 65, 70, 74, 75, 79, 81, 84, 85, 89, 91, 95, 98, 99, 100 – 45 पद ।

(3) अनारक्षित शेष 50 बिन्दुयें – दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अनारक्षित रोस्टर बिन्दु के अनुसार लागू होगा ।

नोट : – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ी महिला/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा विकलांगों के लिये रोस्टर की व्यवस्था नहीं की गयी चूँकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की जनसंख्या जिला के कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक है ।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला	विकलांग
25 प्रतिशत	19 प्रतिशत	0 प्रतिशत	0 प्रतिशत	0 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

(30) पलामू जिला

(1) अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दु – 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 24, 25, 34, 35, 45, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 79, 84, 85, 95, 100 – 25 पद।

(2) अनुसूचित जन जाति का रोस्टर – 2, 3, 11, 12, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 64, 65, 75, 80, 89, 90, 98, 99 – 19 पद।

(3) महिला का बिन्दु – 9, 27, 81 – 3 पद।

(4) विकलांग का विन्दु – 17, 48, 91 – 3 पद।

(5) अनारक्षित बिन्दु – दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का अनारक्षित बिन्दुयें लागू होंगें।

नोट : – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गयी है। चूंकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की जनसंख्या जिले की कुल जनसंख्या का 44 प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	महिला	विकलांग
5 प्रतिशत	44 प्रतिशत	0 प्रतिशत	0 प्रतिशत	0 प्रतिशत	0 प्रतिशत	1 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

(31) सिंहभूम जिला

(1) अनुसूचित जाति का रोस्टर बिन्दु – 7, 20, 50, 80, 90 – 5 पद ।

(2) अनुसूचित जन-जाति का रोस्टर बिन्दु – 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 25, 27, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 64, 65, 70, 74, 75, 79, 81, 84, 85, 89, 91, 95, 98, 99, 100 – 44 पद ।

(3) विकलांग का रोस्टर बिन्दु – 17 – एक पद ।

(4) अनारक्षित बिन्दु – 1, 5, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 97 – 50 पद ।

नोट : – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं महिला के लिये आरक्षण रोस्टर की व्यवस्था नहीं की गयी है । चूंकि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की जनसंख्या जिला के कुल जनसंख्या का 49 प्रतिशत है ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 31 अक्टूबर, 90

विषय :- पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के आधार पर चयन किए जाने पर उनकी गणना आरक्षित कोटा में नहीं करने के संबंध में ।

बिहार में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संकल्प संख्या-756/का० दिनांक 10-11-78 द्वारा लागू किया गया। इसकी कण्डिका-7 में कहा गया कि आरक्षण सम्बन्धी सभी प्रक्रिया वही होगी जो अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिए लागू है । चूँकि पूर्व में भारत सरकार में अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों के जो उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होते थे उनकी गणना आरक्षण कोटे में की जाती थी, इसलिए यह प्रक्रिया बिहार राज्य में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए भी लागू की गयी ।

लेकिन भारत सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त यह पाया कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि आरक्षण के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाय । अतः भारत सरकार ने अपने पत्रांक-36012/13/88-ईस्ट (एस. सी. टी.) दिनांक 22-5-89 द्वारा यह आदेश जारी किया कि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के ऐसे उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होंगे उनकी गणना आरक्षण कोटा में नहीं की जाएगी ।

इस संदर्भ में विभिन्न राज्यों से सूचनाएं एकत्र की गयीं एवं यह स्पष्ट हुआ कि अन्य राज्यों में भी केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुरूप जो पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं, उनकी गणना आरक्षण कोटा में नहीं की जाती है ।

अतएव राज्य सरकार ने भलीभांति विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के ऐसे उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होंगे उनकी गणना आरक्षण कोटा में नहीं की जायगी । यह आदेश 1-11-90 से प्रभावी होगा ।

सभी सचिवों एवं विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से करें । नियुक्ति पदाधिकारियों को अनुदेश दे दिया जाय कि इस आदेश के अनुपालन में उनके द्वारा की गयी किसी चूक को राज्य सरकार बड़ी गम्भीरता से लेगी । इस आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की चूक के लिए नियुक्ति पदाधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है ।

जहां तक इस आदेश को उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/ परिषद के कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/परिषद की सहमति/परामर्श प्राप्त कर बाद में आदेश निर्गत किया जायगा ।

आदेश :- अत: आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या-11/आ० 4-आ० नि०-105/90 का०-133 पटना, दिनांक 31 अक्टूबर, 90

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/महालेखाकार, बिहार, पटना/अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय निकायों/निगमों/ लोक क्षेत्र के उपक्रमों/पर्षदों/सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इसकी प्राप्ति की सूचना दें तथा उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक क्षेत्र के उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/- अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या 15 वि० अभि० 30/1/89 का०-312

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(आरक्षण कोषांग)

प्रेषक,

श्री हर्ष वर्धन, सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 24 अगस्त, 1990 ।

विषय :- आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला आरक्षण कार्यान्वयन समिति का गठन एवं उसकी नियमित बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव, बिहार के परिपत्र संख्या 145-का०, दिनांक 21 जून, 1989 और उसी प्रसंग में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला अधिकारियों को सम्बोधित आरक्षण आयुक्त के अ० स० पत्रांक 145, दिनांक 10 जुलाई, 1989 तथा आरक्षण आयुक्त के अन्तिम स्मार पत्रांक 77, दिनांक 10 अगस्त, 1989 का कृपया उल्लेख करें । उपर्युक्त द्वारा प्रत्येक जिला में एक आरक्षण नीति कार्यान्वयन समिति के गठन का आदेश दिया गया है । जिला समिति किस प्रकार होगी इसका भी निर्देश दिया गया है, जो निम्नांकित है :-

(1) अध्यक्ष – सांसद, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में जिला मुख्यालय आता हो ।

(2) सदस्य – जिला के सभी आरक्षित कोटि के विधान-सभा सदस्य ।

(3) सदस्य – जिला के सभी सांसद जो आरक्षित कोटि के हों ।

(4) सदस्य – जिला के सभी विधान परिषद सदस्य जो आरक्षित कोटि के हों ।

(5) सदस्य-सचिव – जिला दंडाधिकारी/समाहर्त्ता ।

(6) जिला कल्याण पदाधिकारी ।

उपर्युक्त समिति का गठन अनेक जिलों में पहले किया जा चुका है, परन्तु हाल के लोक सभा एवं विधान सभा के निर्वाचन के पश्चात प्रायः सभी जिलों में उनका पुनर्गठन अपेक्षित है । अभी तक उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार निम्नांकित जिलों से पुनर्गठन सम्बन्धी आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है :-

नालन्दा, मुंगेर, खगड़िया, छपरा, सहरसा, देवघर, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा), रांची, औरंगाबाद तथा पटना ।

पश्चिमी चम्पारण एवं भागलपुर जिलों में विधान-सभा निर्वाचन के पश्चात का आदेश अप्राप्त है। दुमका जिला से केवल सूचना दी गयी है, परन्तु पुनर्गठन आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं है ।

अनुरोध है कि सम्बन्धित पदाधिकारी गठन सम्बन्धी कार्रवाई अविलम्ब पूरी कर आदेश की एक-एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे ।

2. इन समितियों की बैठक प्रत्येक माह की जानी है और इस समिति को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि वे जिला के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, निकायों, सहकारी संस्थानों आदि में आरक्षित रिक्तियों की पहचान करवाकर उन पर उक्त कोटि के व्यक्तियों को बहाली किये जाने की जिला स्तरीय पदाधिकरियों द्वारा किये जानेवाले इस सम्बन्ध में कार्यों की मोनेटरिंग करेगी । इस समिति को यह भी जिम्मेवारी दी गयी है कि वह आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के प्रति दोषी एवं शिथिल रहने वाले पदाधिकारी की पहचान कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा करेगी । समिति को और भी जो अन्य कार्य दिये गये हैं, उस सम्बन्ध में सभी जिला पदाधिकारियों को आरक्षण आयुक्त के अर्द्ध-सरकारी पत्रांक 77, दिनांक 10 अगस्त 1989 द्वारा निर्देश भेजे गये हैं ।

3. जिला समितियों की मासिक बैठकों की सूचना समय रहते प्रत्येक जिला अधिकारी अपने प्रमंडलीय आयुक्त एवं आरक्षण आयुक्त को देंगे ताकि वे सुविधानुसार बैठकों में भाग ले सकें ।

4. पूर्व निर्देशित संकल्प में कहा गया है कि उक्त समिति की कार्यवाही की मोनेटरिंग प्रत्येक प्रमंडलीय आयुक्त नियमित रूप से करेंगे और आवश्यकतानुसार समिति की अनुशंसा पर सरकार का आदेश प्राप्त करेंगे ।

5. समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित किये जाने के निर्देश पर सूचित करना है कि केवल निम्नांकित जिलों से उनके समक्ष उल्लिखित तिथियों पर ही बैठकें बुलाई गयी हैं :-

भोजपुर (2-7-1990)

बेगूसराय (29-8-1989)

समस्तीपुर (16-9-1989)

गया (16-8-1989, 29-8-1989 एवं 10-10-1989)

कटिहार (28-9-1989)

सिंहभूम (23-9-1989)

रांची (7-7-1990)

सिवान (3-10-1989)

वैशाली (30-3-1990)

औरंगाबाद (31-8-1989) ।

दुमका एवं धनबाद जिलों से बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया था परन्तु अध्यक्ष से तिथि नहीं उपलब्ध होने के कारण बैठकें नहीं की जा सकीं। शेष जिलों से किसी भी बैठक की कार्यवाही अप्राप्त है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर समिति की बैठकें नियमित रूप से बुलाए जाने हेतु समुचित प्रयास किये गये हों या बैठकें नियमित रूप से बुलायी गयी हों ।

6. मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 82, दिनांक 11 अगस्त, 1989 जो सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों को सम्बोधित है के द्वारा विस्तृत निर्देश भेजते हुए उन परिपत्रों को भी भेजा गया था जिनके द्वारा जिला स्तरीय आंकड़े एकत्रित करने थे और एक प्रति प्रमंडलीय आयुक्त को तथा एक प्रति राज्य सरकार को सीधे भेजनी थी । इस सम्बन्ध में भी कहना है कि कुछ जिलों से केवल आंशिक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । कुछ जिलों से इतने त्रुटिपूर्ण आंकड़े प्राप्त हुए हैं कि उनका संकलन किया जाना सम्भव नहीं है और शेष जिला से किसी प्रकार के आंकड़े अप्राप्त हैं । इस सम्बन्ध में आंशिक आंकड़े जिन जिलों से प्राप्त हुए हैं वे नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, मुंगेर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, समस्तीपुर, सासाराम, धनबाद, लोहरदग्गा, सिंहभूम एवं पलामू हैं । शेष जिलों से आंकड़े या तो पूर्णतः अप्राप्त हैं अथवा इतने त्रुटिपूर्ण हैं कि उनका संकलित किया जाना संभव नहीं है ।

इस सम्बन्ध में सभी जिला अधिकारियों से अनुरोध है कि वे आंकड़े भेजने के पूर्व विहित परिपत्र एवं भेजे जा रहे आंकड़ों को सरसरी तौर पर देख लें । प्रायः सभी जिलों से या तो जोड़ घटाव की भूल होती है अथवा ऐसी गलतियां प्राप्त होती हैं जो नहीं होनी चाहिए । उदाहरणार्थ किसी भी संवर्ग के वर्गवार उपलब्ध पदों का योग उस संवर्ग के कुल रिक्त पद से अधिक नहीं हो सकता है, परन्तु ऐसे भी आंकड़े अनेक जिलों से दिये गये हैं । फिर, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा रिक्त पदों की संख्या का योग स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक नहीं हो सकता है, परन्तु इसमें भी कुछ त्रुटियां पायी गयी हैं ।

7. हाल में बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति/जन-जाति कल्याण समिति की बैठक में 8 जिलों से विशेष सूचनायें मांगी गयी थीं । यह जिला देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, जमशेदपुर, लोहरदग्गा, जहानाबाद, अररिया एवं किशनगंज हैं । इनमें से अधिकांश जिलों से वांछित आंकड़े पूर्णरूप से प्राप्त नहीं हुए हैं । जहां से प्राप्त भी हुए हैं तो उनमें अनेक त्रुटियां हैं । इसके अतिरिक्त अधिकांश जिलों से जिलास्तरीय सभी विभागों के कार्यालयों की संख्या नहीं दी गयी है । अधिकांश ने केवल समाहरणालय तथा एक दो विभागों के आंकड़े भेजे हैं, जबकि मुख्य सचिव के उपरोक्त अंकित पत्रांक 82, दिनांक 11 अगस्त, 1989 द्वारा जो परिपत्र दिया गया है उसमें प्रत्येक जिला अधिकारी से 33 विभागों की सूचना मांगी गयी है । अतः न केवल ऊपर अंकित 8 जिलों से बल्कि प्रत्येक जिला से 33 विभागों के जिलास्तरीय एवं जिला अधीनस्थ कार्यालयों की स्थिति की जानकारी आवश्यक है ।

8. बिहार विधान-सभा अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण समिति की बैठक में वर्तमान स्थिति के प्रति गंभीर चिन्ता प्रकट की गयी है । समिति द्वारा जिला अधिकारियों को समिति की अगली बैठक में बुलाए जाने की संभावना है, जिसमें उपर्युक्त सभी बिन्दुओं की समीक्षा की जायेगी ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई कर प्रत्येक बिन्दु के सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रतिवेदन तथा वाँछित आंकड़े अविलम्ब एकत्रित कर भेजने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,

ह०/- हर्ष वर्धन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या 312

पटना, दिनांक 24 अगस्त, 1990 ।

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ ।

ह०/- हर्ष वर्धन

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 312

पटना, दिनांक 24 अगस्त, 1990 ।

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- हर्ष वर्धन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या-11/आ० वि०स०1-136/90 का०-96

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री राधा रमण सिंह, सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 17 जुलाई, 90

विषय :- **मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (बिहार राज्य अभिलेखागार) के कनीय प्रवर कोटि सहायक अभिलेख निदेशक/क्षेत्रीय अभिलेखागार पदाधिकारी/प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शनी पदाधिकारी वेतनमान रु० 2400-4150/- के सम्वर्गीय पदों के संबंध में कालावधि का निर्धारण ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (बिहार राज्य अभिलेखागार) के कनीय प्रवर कोटि सहायक अभिलेख निदेशक/क्षेत्रीय अभिलेखागार पदाधिकारी/प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शनी पदाधिकारी वेतनमान रु० 2400-4100/- के सम्वर्गीय पदों पर निम्न प्रकार से एक पद से दूसरे पद पर प्रोन्नति संबंधी कालावधि निर्धारित किया जाता है :-

क्र०सं०	निम्नतर पद एवं वेतनमान	उच्चतर पद एवं वेतनमान	कालावधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	कनीय पुराभिलेखपाल (रु० 1400-2600)	कनीय प्रवर कोटि कनीय पुराभिलेखपाल/ अ० पाल/शो० स० अ० पाल रु० 1500-2700	6 वर्ष	
2.	कनीय प्रवर कोटि कनीय पुराभिलेखपाल (रु० 1500-2700)	अभिलेखपाल/पुराभिलेखपाल शोध सहायक/सहायक पुराभिलेखपाल रु० 1640-2900	4 वर्ष	वरीय प्रवर कोटि कनीय पुराभिलेखपाल का कोई पद अनुमान्य नहीं है ।

3.	अभिलेखपाल/पुराभिलेखपाल/ शोध सहायक/सहायक पुराभिलेखपाल रु० 1640-2900	कनीय प्रवर कोटि अभिलेखपाल पुराभिलेखपाल/शोध सहायक/ सहायक पुराभिलेखपाल (रु० 1800-3330)	4 वर्ष	
4.	कनीय प्रवर कोटि अभिलेखपाल/ पुराभिलेखपाल/शोध सहायक/ सहायक पुराभिलेखपाल रु० 1800-3330	वरीय प्रवर कोटि अभिलेखपाल/ पुराभिलेखपाल/शोध सहायक/ सहायक पुराभिलेखपाल तथा सहायक अभिलेख निदेशक/ क्षेत्रीय अभिलेखागार पदा०/ प्रशिक्षण-सह प्रदर्शनी पदा० रु०2000-3800	5 वर्ष एम.ए. अधिकारियों के लिए, 10 वर्ष स्नातक अधिकारियों के लिए।	निम्नतर सम्वर्ग का वरीय प्रवर कोटि तथा उच्चतर सम्वर्ग के कोटि के लिए एक वेतनमान है। अतएव कालावधि एक रखा गया है।
5.	वरीय प्रवर कोटि अभिलेखपाल/ पुराभिलेखपाल/शोध सहायक/ पुरा अभिलेखपाल/सहायक अभिलेख निदेशक/क्षेत्रीय अभिलेखागार पदा०/प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शनी पदा० रु०2000-3800	कनीय प्रवर कोटि सहायक अभिलेख निदेशक/क्षेत्रीय अभिलेखागार पदा०/ प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शनी पदाधिकारी रु० 2400-4150	5 वर्ष	

कालावधि की गणना निम्नतर पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी ।

विश्वासभाजन,

ह०/- राधा रमण सिंह

सरकार के अवर सचिव ।

पत्र संख्या-11/का० 10-02/90 का०-54

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री राधा रमण सिंह, सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 21 मई, 90

विषय :- सरकारी सेवा में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर कालावधि का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के संकल्प संख्या-9277 दिनांक 29-5-71 की कंडिका-4 के अनुपालन में निबंधन विभाग के अनुशंसा के आलोक में लिपिक संवर्ग में प्रोन्नति हेतु सरकार ने भली-भाँति विचार कर निम्नांकित कालावधि निर्धारण करने का निर्णय लिया है :-

निबंधन विभाग के नियंत्रणाधीन सेवा

क्र०सं०	निम्नतर पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि
1.	लिपिक (580-860/-) पुनरीक्षित वेतनमान (1200-1800/-)	कनीय प्रवर कोटि लिपिक (680-965/-) पुनरीक्षित वेतनमान (1320-2040/-)	8 (आठ) वर्ष
2.	कनीय प्रवर कोटि लिपिक (680-965/-) पुनरीक्षित वेतनमान (1320-2040/-)	वरीय प्रवर कोटि लिपिक (730-1080/-) पुनरीक्षित वेतनमान (1400-2300/-)	5 (पाँच) वर्ष

2. कालावधि की गणना निम्नतर पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी ।

विश्वासभाजन,

ह०/-राधा रमण सिंह

सरकार के अवर सचिव ।

No. 12025/6/90-SCD (R.L. Cell)]

Government of India / Bharat Sarkar

Ministry of Welfare/Kalayan Mantralaya

New Delhi, Dated the 20th April, 1990

To

The chief Secretary,

Government of Orissa,

Bhubaneshwar,

Subjet : **Issue of Scheduled Tribe certificate to Scheduled Tribe person who converts from one religioin to another religion-Issue of Scheduled Tribe certificate to offsprings of inter-caste married couple-Clarification Regarding.**

Sir.

I am directead to refer to Ministry of Home Affairs (now Ministry of Welfare) Letter no. 35/1/72/-R.U. (SCT.V) and 39/37/73- SCT.I dated 2nd May 1975 and 21st May 1977 respectively in which a set of points/comprehensive legal position was circulated to all the State Governments/U.T. Administrations for the guidance of the certificate Issuing authorities before issue of Scheduled caste/Scheduled Tribe certificates.Representations have been made to this Ministry that despite the instructions issued from Government of India, considerable amount of confusion seems to be prevailing in parts of Orissa, on the question of issuing Scheduled Tribe certificates to Scheduled Tribe persons who were converted into Christian religion and in the matter of extending the privileges otherwise due to them as scheduled Tribes.

2. In this connection it is brought to the notice of the State Government/U.T. Administrations that where a person claims to be Scheduled Tribe by birth, he/she may profess any religioin. It is deemed that Scheduled Tribe status of person will not undergo any change over after his/her change of faith from one religion fo another religions as far as Scheduled Tribe benefits admissible to him/her are concerned. Scheduled Tribe persons

even after their conversion from one religion to another religion will equally be entitled to enjoy stipend/Scholarships provided to other students who have not converted subject to their fulfilling the means test prescribed, etc. Similary, Scheduled Tribe persons irrespective of their religion are entitled to enjoy Scheduled Tribe bebefits even after appointed into Government Services.

3. Further, doubts have also been raised regarding caste/tribal status of off-springs of inter-caste/tribe married couple where one of the couples is a Scheduled Tribe and the other is a non-tribal professing Hindu or Christian religion. Clarification has been sought from this Ministry time and again whether such children are entitled to get Scheduled Tribe certificate. In that case, the main factor of consideration is whether the couples were accepted by the tribal society to which the tribal spouse belongs. If he or she, as the case may be, is accepted by the society, then their children will be deemed to be Scheduled Tribes. But this situation can normally happen when the husband is a member of the Scheduled Tribe. However, a circumstance may be there when a Scheduled Tribe women may have children from marriage with a nonscheduled tribe persons. In that event the children may be treated as Scheduled Tribes only if they assimilate themselves with the tribes and if the members of the Scheduled Tribe community accept them and treat them as members of their community. It is the recognition and acceptance by the society of the children born out of a marriage between a member of Scheduled Tribe with an outsider which is the main determining factor irrespective of whether the tribe is matriarchal of patriachal. If such children have been recognised and received by the members of the Scheduled Tribe community into which he/she seeks an entry, the children can be allowed to get Scheduled Tribe certificate by the certificate issuing authorities after satisfying themselves through due physical checking and enquiries as to location /habitation of the family, customs and members being observed etc. The condition that a person can be Scheduled Tribe by birth can be sustained only if the custom of endogamy is established without any exception.

4. It is observed that very often non-Scheduled Tribes and non-Scheduled Castes try to take advantage of the facilities of reservation in services, etc. available for Scheduled Tribes and Scheduled Castes by obtaining certificates as belonging to the reserved categories, claiming adoption technically, though not belonging to and not brought up in the environment in which the tribals live, etc. It is considered necessary that the cases of non-scheduled caste/non-scheduled tribe claiming Scheduled Caste /Scheduled Tribe certificates should be carefully verified. As has been done is some States like Maharashtra,

it would be advisable that a suitable commission with cempetent and knowledgeable members is appointed to enquire and clear the claims. This will discourage and prevent non-genuine persons from claiming Scheduled Tribe/Scheduled Caste status also.

5. It is requested that these instructions may be circulated among all the authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates immediately so as to enable the off-springs of the inter-caste married couple to get Scheduled Tribe certificate without any further confusion.

6. The position as above about appointing the commission for verifying/scrutinising claims for Scheduled Tribe/Scheduled Caste certificate may also be considered.

Yours faithfully,

B.N. SRIVASTAVA,

Director.

No. 12025/6/90-SCD (R.L. Cell)

New Delhi, dated the 20th April 1990.

Copy forwarded to the Chief Secretaries of all State Government/U.T. Administrations for information and necessary action in the matter.

B.N. SRIVASTAVA,

Director.

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञापांक 11/वि०-4-03/90-का०-64

दिनांक 7 जून, 1990।

प्रतिलिपि - सभी सचिव, विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित ।

शिव प्रसाद सिंह

उप-सचिव,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

पत्र संख्या-15/आ० आ० को० 801/89-148

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री भास्कर बनर्जी, आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी ।

पटना, दिनांक 4 अप्रील, 1990 ।

विषय :- **राज्य सरकार के अधीन प्रत्येक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की नियुक्ति में वर्ग 3 और वर्ग 4 में विहित कोटा पूरा किये जाने के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण के आधार पर, वर्तमान बैकलॉग की स्थिति ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कहना है कि राज्य सरकार के अधीन पद और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षण सम्बन्धी राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत इनके लिए आरक्षण के प्रतिशत का पुनरीक्षण 1971 में किया गया था । उसी के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के संकल्प ज्ञापांक 5305, दिनांक 10 अप्रील, 1973 द्वारा प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लिये सरकारी सेवाओं में आरक्षित प्रतिशत पदों की जिलावार सूची दी गयी थी । यह सूची दो भागों में है । विवरणी 1 में वह प्रतिशत अंकित है जो प्रत्येक जिला में अनुसूचित जाति एवं जन-जातियों के लिए सामान्य रूप से कोटा निर्धारित किया गया है । विवरणी 2 में जिलावार वह प्रतिशत अंकित है जो वैसी अवस्था में लागू किया जाना है यदि आपके जिले में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लिए अनुमान्य आरक्षण प्रतिशत पूरा नहीं हो और उस बैकलॉग को पूरा करने के लिए आरक्षित कोटि के व्यक्तियों को अधिक संख्या में सरकारी सेवाओं में लिया जाना हो । अर्थात् जिले में बैकलॉक हो, वहां विवरणी 2 के अनुसार आरक्षित कोटि की नियुक्ति की जायेगी और जब बैकलॉग समाप्त हो जाय तो विवरणी 1 के अनुसार कोटा के अन्तर्गत नियुक्ति होगी ।

2. अभी तक निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं हो पाया है कि किन-किन जिलों में आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों का बैकलॉग पूरा हो चुका है । इस हेतु आवश्यक आंकड़े उपलब्ध करके मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है । अत: सभी जिला पदाधिकारी कृपया संलग्न प्रपत्र में अपने जिले के सभी विभागों की स्थिति एकत्रित कर अपने प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भेजने की व्यवस्था करेंगे ।

3. प्रमण्डलीय आयुक्तों से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी जिलों से आंकड़े एकत्रित कर उन्हें समेकित रूप से आरक्षण आयुक्त को दो प्रतियों में भेजेंगे ।

विश्वासभाजन,

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

ज्ञाप संख्या 148 पटना, दिनांक 4 अप्रील, 1990 ।

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

प्रपत्र 1-ए

प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर 31 दिसम्बर, 1989 तक आरक्षित वर्गों के कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण ।

प्रमंडल/जिला का नाम ....

क्रमांक	विभाग का नाम	संवर्ग (श्रेणी)	कुल स्वीकृत पदों की सं०	कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी की सं०				वर्गवार अनुमान्य रिक्त पदों की संख्या				अभ्युक्ति
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अन्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आरक्षी विभाग											
2.	राजभाषा विभाग											
3.	वित्त विभाग											
4.	योजना एवं विकास विभाग											
5.	ग्रामीण विकास विभाग											
6.	कल्याण विभाग											
7.	नगर विकास विभाग											
8.	स्वास्थ्य विभाग											
9	मानव संसाधन विकास विभाग											
10.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग											
11.	उद्योग विभाग											
12.	ईख विभाग											
13.	खनन एवं भूतत्व विभाग											
14.	वन एवं पर्यावरण विभाग											
.	[illegible] विभाग											

16. सहकारिता विभाग

17. पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग

18. ऊर्जा विभाग

19. जल संसाधन विभाग

20. लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

21. पथ निर्माण विभाग

22. परिवहन विभाग

23. सूचना एवं जन-संपर्क विभाग

24. पर्यटन विभाग

25. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

26. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

27. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

28. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

29. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

30. भवन निर्माण विभाग

31. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

32. लघु उद्योग विभाग ।

33. अन्य

योग

नोट :- (1) जिन वेतनमान के पदों के सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है, उन वेतनमानों का वर्णन भी करें । परन्तु कुल स्वीकृत पदों की संख्या वाले कॉलम को भरते समय मात्र उतने ही पदों की संख्या का उल्लेख करें जिन पदों को सिर्फ प्रोन्नति द्वारा ही भरा जाता है ।

(2) प्रतिवेदनों में इन सभी विभागों का उल्लेख करते हुए एक-एक पंक्ति अवश्य रखी जाय, चाहे आंकड़ा शून्य ही हो, तथा इनके क्रमांकों में परिवर्तन नहीं करें ।

प्रपत्र 1-बी

सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर 31 दिसम्बर, 1989 तक आरक्षित वर्गों के कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

प्रमंडल/जिला का नाम...

क्रमांक	विभाग का नाम	संवर्ग (श्रेणी)	कुल स्वीकृत पदों की सं०	कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी की सं०				वर्गवार अनुमान्य रिक्त पदों की संख्या				अभ्युक्ति
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अन्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आरक्षी विभाग											
2.	राजभाषा विभाग											
3.	वित्त विभाग											
4.	योजना एवं विकास विभाग											
5.	ग्रामीण विकास विभाग											
6.	कल्याण विभाग											
7.	नगर विकास विभाग											
8.	स्वास्थ्य विभाग											
9.	मानव संसाधन विकास विभाग											
10.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग											
11.	उद्योग विभाग											
12.	ईख विभाग											
13.	खनन एवं भूतत्व विभाग											
14.	वन एवं पर्यावरण विभाग											
15.	कृषि विभाग											

16. सहकारिता विभाग
17. पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग
18. ऊर्जा विभाग
19. जल संसाधन विभाग
20. लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
21. पथ निर्माण विभाग
22. परिवहन विभाग
23. सूचना एवं जन-संपर्क विभाग
24. पर्यटन विभाग
25. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
26. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
27. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग
28. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
29. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग
30. भवन निर्माण विभाग
31. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
32. लघु उद्योग विभाग।
33. अन्य

योग

नोट :- (1) जिन वेतनमान के पदों के सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है, उन वेतनमानों का वर्णन भी करें। परन्तु कुल स्वीकृत पदों की संख्या वाले कॉलम को भरते समय मात्र उतने ही पदों की संख्या का उल्लेख करें जिन पदों को सिर्फ प्रोन्नति द्वारा ही भरा जाता है।

(2) प्रतिवेदनों में इन सभी विभागों का उल्लेख करते हुए एक-एक पंक्ति अवश्य रखी जाय, चाहे आंकड़ा शून्य ही हो, तथा इनके क्रमांकों में परिवर्तन नहीं करें।

[94]

पत्र संख्या 15-वि० अभि०-311/89-का०-136

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(आरक्षण कोषांग)

प्रेषक

श्री भास्कर बैनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त,

बिहार, पटना ।

सेवा में

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक 7 दिसम्बर, 1989 ।

विषय— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति की नियुक्त हेतु मितव्ययिता परिपत्र का शिथिलीकरण ।

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र एम-4-28/89 (खंड)/5372-वित्त (2), दिनांक 2 नवम्बर, 1989 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए सूचित करना है कि विभिन्न विभागों के अनुरोध पर वित्त विभाग द्वारा विशेष नियुक्ति अभियान (आरक्षित कोटि) के हित में दिनांक 31 मार्च, 1990 तक के लिये मितव्ययिता परिपत्र संख्या 8560 वि०, दिनांक 30 दिसम्बर, 1986 में संशोधन कर दिया गया है ताकि सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जानेवाले आरक्षित कोटि के रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति में कोई प्रतिबन्ध नहीं रहे ।

आपसे अनुरोध है कि कृप्या अपने विभाग के अधीन उपलब्ध आरक्षित कोटि के रिक्त पदों को सीधी नियुक्ति द्वारा भरने की अविलम्ब व्यवस्था की जाय ।

इस पत्र की प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारियों/उपायुक्तों (जिलों) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है ।

कृप्या इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन,

ह०/-भास्कर बैनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त

बिहार, पटना ।

पत्र संख्या एम० 4-28/89 (खंड) - 5372 वि० (2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक

श्री एस० पी० केशव,

सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में

सदस्य, राजस्व पर्षद्/उपाध्यक्ष, योजना पर्षद

अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो

विकास आयुक्त, बिहार

विकास आयुक्त, 20-सूत्री कार्यक्रम

सभी विभागों के आयुक्त-सह-सचिव

सभी महानिरीक्षक/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलायुक्त

सभी जिला पदाधिकारी/ उप-विकास आयुक्त ।

पटना-15 दिनांक 2 नवम्बर, 1989 ।

विषय- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति की नियुक्ति हेतु मित्व्ययिता परिपत्र का शिथिलीकरण ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2-एम०-40-17/86-8560-वि० (2), दिनांक 30 दिसम्बर, 1986 द्वारा सरकारी स्थापना तथा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से गैर-योजना मद में ऐसी रिक्तियां जो छः महीने से अधिक से चली आ रही है और जिन पर प्रोन्नति से भरने का प्रश्न नहीं है उन पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है ।

2. राज्य सरकार की दृष्टि में यह बात आयी है कि इस कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आरक्षित सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति के पद भी लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे हैं जबकि उनके लिये उन्हीं आरक्षित कोटियों के सुयोग्य अभ्यर्थी अब उपलब्ध हो सकते हैं ।

3. अतएव आवश्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति हेतु आरक्षित ऐसे रिक्तियां जो सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाती हैं, को तुरंत भरा जाय। इस सीमा तक वित्त विभाग के

परिपत्र संख्या 8560-वि०, दिनांक 30 दिसम्बर, 1986 की कंडिका 3 को शिथिल किया जाता है ।

4. यह शिथिलीकरण दिनांक 30 मार्च, 1990 तक प्रभावी रहेगा ।

ह०/- एस० पी० केशव,

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञाप संख्या एम०-4-28/89(खंड)-5372 वि (2) पटना-15, दिनांक 2 नवम्बर, 1989 ।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त आयुक्त, बिहार पटना/अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

भास्कर बैनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

ज्ञाप संख्या एम० 4-28/89 (खंड)- 5372-वि (2) पटना-15, दिनांक 2 नवम्बर, 1989 ।

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारियों/सभी उपायुक्तों (जिला को) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

भास्कर बैनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

पत्रांक 15/वि० अभि०-308/89-का-83

विहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,

प्रेषक,

श्री ए० यू० शर्मा,

मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

श्री अरुण पाठक,

अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो,

बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 11 अगस्त, 1989

विषय - आरक्षण नीति को लागू करने हेतु राज्य सरकार के लोक उद्यमों में आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों के बैक-लॉग को भरने हेतु विशेष अभियान के सम्बन्ध में व्यवस्था ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि हाल में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 तक उपलब्ध आरक्षित कोटि (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति) की सभी बकाया रिक्तियों के साथ सरकार के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ लोक उद्यमों में उपलब्ध अद्यतन सभी आरक्षित रिक्तियों को निश्चित रूप से भरवा दिया जाय । यह काम 31 दिसम्बर, 1989 तक पूरा करा लेना है । आपका ध्यान कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 3-एस० 2-1029/74-का० - 16262, दिनांक 22 अगस्त, 1974 (प्रतिलिपि संलग्न) पर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें तत्कालीन मुख्य सचिव के अ० स० पत्र सं० 3/एस० 2-1046/72-का० - 21748 दिनांक 6 दिसम्बर, 1972 का हवाला देते हुए निदेश दिया गया था कि राज्य सरकार के सभी अर्द्धसरकारी निकायों, लोक क्षेत्र उपक्रमों तथा निगमों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के लिये पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में उन्हीं नियमों का अनुसरण किया जायेगा जिनका अनुसरण राज्य सरकार के विभिन्न विभाग करते हैं ।

2. चूँकि सरकार का यह निर्णय है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 तक सभी उपलब्ध आरक्षित कोटि की

रिक्तियां निश्चित रूप से भरी जायें, अत: उपर्युक्त सरकारी नीति का अनुपालन अविलम्ब सभी अर्द्ध-सरकारी निकायों, लोक क्षेत्र उपक्रमों तथा निगमों द्वारा कराना है । इसके लिये कृपया सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिया जाय और उनसे प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त कर आरक्षण आयुक्त को उक्त महीने की 20 तारीख तक विभागवार समेकित प्रतिवेदन भेजवाने की व्यवस्था की जाय। प्रतिवेदन भेजने के लिये प्रपत्र वही होंगे जो सभी विभागों को मेरे द्वारा भेजे गये परिपत्र संख्या 11/वि० 1-03/89-का० – 176, दिनांक 25 जुलाई, 1989 के साथ संलग्न किये गये थे । उक्त परिपत्र की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न की जा रही है ।

3. इस पत्र की प्रतिलिपि सभी विभागीय आयुक्तों एवं सचिवों/सभी विभागाध्यक्षों तथा सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है ।

विश्वासभाजन

ए० यू० शर्मा,

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या 15-वि० अभि०-308/89-का० – 83 पटना, दिनांक 11 अगस्त, 1989

प्रतिलिपि सभी लोक उद्यमों, निगमों एवं अर्द्ध-सरकारी निकायों/क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

भास्कर बैनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह प्रशासनिक सुधार आयुक्त,

बिहार, पटना ।

ज्ञाप संख्या 15-वि० अभि०-308/89-का० – 83 पटना, दिनांक 11 अगस्त, 1989

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, बिहार पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

भास्कर बैनर्जी ।

आरक्षण आयुक्त-सह प्रशासनिक सुधार आयुक्त

बिहार, पटना ।

पत्र संख्या 15/वि० अभि०-308/89-का०-82

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,

प्रेषक,

श्री ए० यू० शर्मा,

मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिलाधिकारी।

पटना, दिनांक 11 अगस्त, 1989।

विषय : दिनांक 1 जून, 1989 से आरक्षण नीति को लागू करने के लिये राज्य व्यापी विशेष अभियान के सम्बन्ध में व्यवस्था।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे यह सूचित करना है कि राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी सरकारी सेवा संवर्गों के अन्तर्गत उपलब्ध आरक्षित कोटि की सभी रिक्तियों को दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 तक भरने के लिये पूर्व में मेरे द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 136, दिनांक 14 जून, 1989 में समुचित निदेश दिये जा चुके हैं। उक्त पत्र द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था कि अपने नियन्त्रणाधीन एवं अधीनस्थ स्थापना में आरक्षित कोटि के रिक्त पदों के भने हेतु एक कालबद्ध कार्य योजना तैयार करवा कर उसको दो प्रतियां आरक्षण आयुक्त को 30 जून, 1989 तक अवश्य भेज दी जाय। परन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक आप के द्वारा उक्त प्रतिवेदन आरक्षण आयुक्त को भेजे नहीं गये हैं। इस कालबद्ध नियोजन कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रगति को मोनिटरिंग के उद्देश्य से तीन प्रपत्र पूर्व परिपत्र के साथ संलग्न कर भेजे गये थे जिसे भर कर आपको आरक्षण आयुक्त के कार्यालय में 30 जून, 1989 तक भेजना था। अभी तक ये प्रपत्र भी आपके द्वारा भेजा नहीं गया है।

2. आरक्षित कोटि के रिक्त पदों को भरने के लिये विशेष नियुक्ति अभियान में दिनांक 31 जुलाई, 1989 तक की समीक्षा करने पर जो स्थिति सामने आयी है वह दुःखद है। किसी भी प्रमंडल से समेकित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो पाया इससे स्पष्ट है कि आप इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाये हैं। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि शायद

पूर्व में भेजे गये प्रपत्रों को भरने में कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई हो । अतः पूर्व में भेजे गये प्रपत्रों को अधिक सरल करते हुए अब संशोधित चार प्रपत्र भेजे जा रहे हैं । तदनुसार प्रत्येक प्रमंडल जिला को अब इन संशोधित प्रपत्रों को भरवा कर शीघ्र आरक्षण आयुक्त के पास निर्धारित तिथि तक भेज देना है । संलग्न प्रपत्र निम्नवत् है :-

(i) प्रपत्र 1-ए एवं 2-ए उन आरक्षित रिक्तियों से सम्बन्धित हैं जिन्हें "प्रोन्नति" द्वारा ही भरा जाना है । इनका सम्बन्ध मात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति से है । अतः प्रपत्र 1-ए एवं 2-ए में अत्यन्त पिछड़ी जाति आदि का कोई कालम अब नहीं है, चूँकि प्रोन्नति आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति को ही अनुमान्य है ।

(ii) प्रपत्र 1-बी एवं 2-बी उन आरक्षित रिक्तियों से सम्बन्धित है जिन्हे सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जाना है । अतः सीधी नियुक्ति में अत्यन्त पिछड़ी जाति के लिये भी कालम बनाया गया है । आप ध्यान देंगे कि इसमें अन्य पिछड़ी जाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं महिला के लिये कोई कालम नहीं बनाया गया है, क्योंकि उन वर्गों को अनुमान्य रिक्तियाँ अग्रणीत (Carry forward) नहीं की जाती हैं । वर्तमान में जो विशेष नियुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, वह मात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिये आरक्षित कोटि के बकाये (बैक लॉग) रिक्तियां को प्राथमिकता के आधार पर भरने के उद्देश्य से ही चलाया जा रहा है । अतः महिला, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़े वर्ग को कोई रिक्ति बकाया नहीं होने के कारण इन वर्गों के सम्बध में कोई सूचना अब आपसे नहीं मांगी जा रही है ।

3. प्रपत्र 1-ए एवं 1-बी को कृपया निश्चित रूप से आरक्षण आयुक्त को 26 अगस्त, 1989 तक भेज देंगे । उसी प्रकार प्रपत्र 2-ए एवं 2-बी 31 अगस्त, 1989 तक आरक्षण आयुक्त को भेजना सुनिश्चित करें ।

यह स्पष्ट रहे कि प्रपत्र 1-ए एवं 1-बी को मात्र एक ही बार समेकित रूप से भर कर 26 अगस्त, तक आपको भेज देना है । उसके बाद उन प्रपत्रों को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु प्रमंडलीय आयुक्तों को जिला पदाधिकारियों से आवश्यक प्रतिवेदन प्रपत्र 2-ए एवं 2-बी में प्रत्येक माह 10 तारीख तक प्राप्त करते हुए बीते माह में की गयी नियुक्ति/प्रोन्नति का विवरण देते हुए उसी माह के 20 तारीख तक आरक्षण आयुक्त को निश्चित रूप से भेज देना है ।

4. सरकार के पूर्व निर्णय के अनुसार राज्य के सभी लोक-उपक्रमों, ऐच्छिक संस्थानों, निगमों, प्राधिकारों तथा कमाण्ड एजेंसियों में सरकार के आरक्षण नीति का कार्यान्वयन कराने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष, लोक-उद्यम ब्यूरो को सौंपा गया है । परन्तु इनके अतिरिक्त स्थानीय निकायों, जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला परिषद, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति आदि से सम्बन्धित रिक्तियों पर नियुक्ति की सूचनायें संलग्न प्रपत्र में एकत्र कर उन्हें सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त को भेजने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारियों पर होगा ।

5. जैसा ऊपर कहा जा चुका है प्रमंडलीय स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त प्रत्येक जिला पदाधिकारी से मासिक

प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे । वे इसके लिये प्रतिमाह को 10 तारीख तक समेकित रूप से संलग्न प्रपत्रों में पिछले माह की रिक्तियां (आरक्षित) एवं उन पर की गयी नियुक्तियों के आंकड़े प्राप्त करेंगें । आरक्षण आयुक्त को अपना मासिक प्रतिवेदन भेजते समय प्रत्येक प्रमंडलीय आयुक्त प्रत्येक माह में पूरे प्रमंडल की आरक्षित रिक्तियों तथा उन पर की गयी नियुक्तियों की समीक्षा पूर्णरूप से करते हुए भेजेंगे, ताकि प्रत्येक विभाग की स्थिति स्पष्ट हो जाय ।

6. राज्य सरकार का यह स्पष्ट निदेश है कि 31 दिसम्बर, 1989 तक सभी आरक्षित कोटि की सभी रिक्तियां बकाये रिक्तियों (अर्थात् 30 दिसम्बर, 1988 तक अनुमान्य) के साथ भर दी जाय । चूंकि यह एक कालबद्ध विशेष नियुक्ति अभियान है, अतः आपसे यह अपेक्षा है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस अभियान को सफल बनाने का प्रभावी नेतृत्व आप दें एवं मांगी गयी सूचनायें आरक्षण आयुक्त को निर्धारित तिथि तक अवश्यक उपलब्ध करा दें ।

विश्वासभाजन,

ए० यू० शर्मा,

मुख्य सचिव, बिहार ।

प्रपत्र 1-ए

प्रोन्नति द्वारा भर जानेवाले पदों पर 31 दिसम्बर, 1988 तक आरक्षित वर्गों के कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण ।

प्रमंडल/जिला का नाम ....

विभाग का नाम	सेवा संवर्ग (श्रेणी)	पदनाम	वेतनमान	कुल स्वीकृत पदों की सं०	कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी की सं०				वर्गवार अनुमान्य रिक्त पदों की संख्या				अभ्युक्ति
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अन्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. आरक्षी विभाग													
2. राजभाषा विभाग													
3. वित्त विभाग													
4. योजना एवं विकास विभाग													
5. ग्रामीण विकास विभाग													
6. नगर विकास विभाग													
7. कल्याण विभाग													
8. स्वास्थ्य विभाग													
9. मानव संसाधन विकास विभाग													
10. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग													
11. उद्योग विभाग													
12. ईख विभाग													
13. खनन एवं भूतत्व विभाग													
14. वन एवं पर्यावरण विभाग													
15. कृषि विभाग													

16. सहकारिता विभाग
17. पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग
18. ऊर्जा विभाग
19. जल संसाधन विभाग
20. लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
21. पथ निर्माण विभाग
22. परिवहन विभाग
23. सूचना एवं जन-संपर्क विभाग
24. पर्यटन विभाग
25. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
26. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
27. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग
28. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
29. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग
30. भवन निर्माण विभाग
31. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
32. लघु उद्योग विभाग ।
33. अन्य

कुल

नोट :- (1) जिन वेतनमान के पदों को दोनों सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है, उन वेतनमानों का वर्णन भी करें । परन्तु कुल स्वीकृत पदों की संख्या वाले कॉलम को भरते समय मात्र उतने ही पदों की संख्या का उल्लेख करें, जिन पदों को सिर्फ प्रोन्नति द्वारा ही भरा जाता है ।

(2) प्रतिवेदनों में इन सभी विभागों के लिए एक-एक पंक्ति अवश्य रखी जाय, चाहे आंकड़ा शून्य ही हो, तथा इनके क्रमांकों में परिवर्तन नहीं करें।

प्रपत्र 1-बी

सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर 31 दिसम्बर, 1988 तक आरक्षित वर्गों के कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

प्रमंडल/जिले का नाम ....

क्रम सं०	विभाग का नाम	सेवा संवर्ग (श्रेणी)	पदनाम	वेतनमान	कुल स्वीकृत पदों की सं०	कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी की सं०				वर्गवार अनुमान्य रिक्त पदों की संख्या				अभ्युक्ति
						अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अन्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आरक्षी विभाग													
2.	राजभाषा विभाग													
3.	वित्त विभाग													
4.	योजना एवं विकास विभाग													
5.	ग्रामीण विकास विभाग													
6.	नगर विकास विभाग													
7.	कल्याण विभाग													
8.	स्वास्थ्य विभाग													
9.	मानव संसाधन विकास विभाग													
10.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग													
11.	उद्योग विभाग													
12.	ईख विभाग													
13.	खनन एवं भूतत्व विभाग													
14.	वन एवं पर्यावरण विभाग													
15.	कृषि विभाग													

16. सहकारिता विभाग

17. पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग

18. ऊर्जा विभाग

19. जल संसाधन विभाग

20. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

21. पथ निर्माण विभाग

22. परिवहन विभाग

23. सूचना एवं जन-संपर्क विभाग

24. पर्यटन विभाग

25. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

26. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

27. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

28. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

29. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

30. भवन निर्माण विभाग

31. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

32. लघु उद्योग विभाग ।

33. अन्य

योग

नोट :- (1) जिन वेतनमान के पदों के दोनों सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है, उन वेतनमानों का वर्णन भी करें । परन्तु कुल स्वीकृत पदों की संख्या वाले कॉलम को भरते समय मात्र उतने ही पदों की संख्या का उल्लेख करें, जिन पदों को सिर्फ सीधी नियुक्ति द्वारा ही भरा जाता है ।

(2) प्रतिवेदनों में इन सभी विभागों का उल्लेख करते हुए एक-एक पंक्ति अवश्य रखी जाय, चाहे आंकड़ा शून्य ही हो, तथा इनके क्रमांकों में परिवर्तन नहीं करें ।

प्रपत्र 2-ए

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अनुमान्य रिक्तियों को प्रोन्नति से भरे जाने से संबंधित मासिक प्रतिवेदन

प्रमंडल/जिला का नाम .... मासान्त ....

क्रम सं०	विभाग का नाम	सेवा संवर्ग (श्रेणी)	पदनाम	वेतनमान	31 दिसम्बर, 1988 तक आरक्षित वर्ग को अनुमान्य रिक्तियाँ		पिछले माह तक दी गयी प्रोन्नतियाँ		आलोच्य माह में दी गयी प्रोन्नतियाँ		अद्यतन उपलब्धि		अभ्युक्ति (अब तक की गयी कार्रवाई)
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आरक्षी विभाग												
2.	राजभाषा विभाग												
3.	वित्त विभाग												
4.	योजना एवं विकास विभाग												
5.	ग्रामीण विकास विभाग												
6.	नगर विकास विभाग												
7.	कल्याण विभाग												
8.	स्वास्थ्य विभाग												
9.	मानव संसाधन विकास विभाग												
10.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग												
11.	उद्योग विभाग												
12.	ईख विभाग												
13.	खनन एवं भूतत्व विभाग												
14.	वन एवं पर्यावरण विभाग												
15.	कृषि विभाग												

16. सहकारिता विभाग
17. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
18. ऊर्जा विभाग
19. जल संसाधन विभाग
20. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
21. पथ निर्माण विभाग
22. परिवहन विभाग
23. सूचना एवं जन-संपर्क विभाग
24. पर्यटन विभाग
25. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
26. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
27. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग
28. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
29. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग
30. भवन निर्माण विभाग
31. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
32. लघु उद्योग विभाग ।
33. अन्य

योग

नोट :- प्रतिवेदनों में इन सभी विभागों का उल्लेख करते हुए एक-एक पंक्ति अवश्य रखी जाय, चाहे आँकड़ा शून्य ही हो तथा इनके क्रमांकों में परिवर्तन नहीं करें ।

प्रपत्र 2-बी

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अनुमान्य रिक्तियों को सीधी नियुक्ति से भरे जाने से संबंधित मासिक प्रतिवेदन

प्रमंडल/जिला का नाम .... मासान्त ....

क्रम सं०	विभाग का नाम	सेवा संवर्ग (श्रेणी)	पदनाम	वेतनमान	31 दिसम्बर, 1988 तक आरक्षित वर्ग को अनुमान्य रिक्तियाँ		पिछले माह तक की गयी नियुक्ति		आलोच्य माह में की गयी नियुक्तियाँ		अद्यतन उपलब्धि		अभ्युक्ति (अब तक की गयी कार्रवाई)
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आरक्षी विभाग												
2.	राजभाषा विभाग												
3.	वित्त विभाग												
4.	योजना एवं विकास विभाग												
5.	ग्रामीण विकास विभाग												
6.	नगर विकास विभाग												
7.	कल्याण विभाग												
8.	स्वास्थ्य विभाग												
9.	मानव संसाधन विकास विभाग												
10.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग												
11.	उद्योग विभाग												
12.	ईख विभाग												
13.	खनन एवं भूतत्व विभाग												
14.	वन एवं पर्यावरण विभाग												

15. कृषि विभाग
16. सहकारिता विभाग
17. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
18. ऊर्जा विभाग
19. जल संसाधन विभाग
20. लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
21. पथ निर्माण विभाग
22. परिवहन विभाग
23. सूचना एवं जन संपर्क विभाग
24. पर्यटन विभाग
25. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
26. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
27. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग
28. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
29. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग
30. भवन निर्माण विभाग
31. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
32. लघु उद्योग विभाग।
33. अन्य

योग

नोट :- प्रतिवेदन में इन सभी विभागों का उल्लेख करते हुए एक-एक पंक्ति अवश्य रखी जाय, चाहे आँकड़ा शून्य ही हो तथा इनके क्रमांकों में परिवर्तन नहीं करें।

पत्र संख्या 15/वि० अभि०-307/89-का० 81

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(आरक्षण कोषांग)

प्रेषक

श्री भास्कर बनर्जी, आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक 11 अगस्त, 1989 ।

विषय – आरक्षित कोटि की रिक्तियों के भरने हेतु राज्य व्यापी विशेष अभियान प्रत्येक विभाग में एक-एक सम्पर्क पदाधिकारियों का मनोनयन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 12978, दिनांक 22 जुलाई, 1975 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि चूँकि आरक्षित कोटि की सभी रिक्तियों को 31 दिसम्बर, 1989 तक भरने हेतु राज्यव्यापी नियुक्ति अभियान आरम्भ किया गया है, अत: इसके लिए यथाशीघ्र उपर्युक्त प्रासंगिक परिपत्र के अनुसार प्रत्येक विभाग में एक-एक संयुक्त/उपसचिव स्तर के पदाधिकारी का मनोनयन सम्पर्क पदाधिकारी (Liaison officer) के रूप में की जानी आवश्यक है ताकि स्थापना कार्य से सम्बद्ध उक्त वरीय पदाधिकारी इस कार्य के लिए इयर-मार्क हो सकें तथा आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सभी मामलों में उनसे सम्पर्क कर वांछित सूचनायें/आंकड़े प्राप्ति किये जा सकें और आवश्यकतानुसार उनसे पत्राचार किया जा सके। इसी प्रकार प्रत्येक विभागाध्यक्ष एवं प्रमंडलीय आयुक्त अपने कार्यालय के लिए संयुक्त/उप-निदेशक कोटि के सम्पर्क पदाधिकारी को मनोनयन कर सम्बन्धित विभागीय आयुक्त/सचिव तथा आरक्षण आयुक्त को सूचित करेंगे ।

2. अत: आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग/कार्यालय के लिए एक सम्पर्क पदाधिकारी की नियुक्ति कर उनका नाम, पदनाम तथा आवास एवं कार्यालय के दूरभाष संख्या की सूचना यथाशीघ्र दो प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन,

ह०/- भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या 15-वि० अभि० 301/89-का० वि० अभि०-77

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(आरक्षण कोषांग)

श्री भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 10 अगस्त, 1989 ।

विषय -- आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला आरक्षण कार्यान्वयन समितियों का गठन एवं नियमित बैठकों का आयोजन के सम्बन्ध में ।

प्रिय श्री/श्रीमती,

कृपया उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निर्गत संकल्प (ज्ञापांक 11-वी 1-11/89-का०-145, दिनांक 21 जून, 1989 का निर्देश करें और उसी प्रसंग में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सम्बोधित मेरे अ० स० पत्रांक 148, दिनांक 10 जुलाई, 1989 का स्मरण करें । उपर्युक्त सरकारी संकल्प द्वारा प्रत्येक जिले में एक आरक्षण नीति कार्यान्वयन समिति के गठन करने का आदेश दिया गया है । जिला समिति का गठन किस प्रकार किया जायेगा इसका भी निर्देश संकल्प में दिया गया है । प्रत्येक जिला के लिये गठित होनेवाली आरक्षण नीति कार्यान्वयन समिति को निम्नांकित कार्य दिये गये हैं :-

(1) आरक्षण नीति का कारगर कार्यान्वयन कराना ।

(2) जिला के विभिन्न सरकारी कार्यालयों/सहकारी संस्थाओं, निकायों में आरक्षित रिक्तियों की पहचान करना और उसके विपरीत आरक्षित वर्गों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा करवाना ।

(3) आरक्षण नीति का मोनिटरिंग करना ।

(4) विभिन्न नियुक्ति एजेंसियों के बीच लाभदायक समन्वय, आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में उदासीनता एवं शिथिलता के लिये जिम्मेवार व्यक्ति की पहचान एवं अनुशासनिक कार्रवाई के लिये अनुशंसा करना ।

(5) कार्यान्वयन के क्रम में उत्पन्न कठिनाइयों की तत्परता से पहचान तथा अविलम्ब स्थल पर निराकरण हेतु आवश्यक निर्णय एवं दिशा निर्देश देना ।

(6) नियुक्ति/आरक्षण सम्बन्धी आंकड़े विभिन्न संस्थानों से एकत्रित कराना और जिला स्तर पर इसका संकलन भी कराना।

2. प्रत्येक जिला समिति की बैठक महीने में कम-से-कम एक बार होगी जिसमें आरक्षण आयुक्त समय-समय पर भाग लेंगे। जिला समितियों की मासिक बैठकों की सूचना प्रत्येक जिला पदाधिकारी अपने प्रमंडलीय आयुक्त को एवं आरक्षण आयुक्त को देंगे।

3. उपर्युक्त संकल्प में कहा गया है कि उक्त समिति की कार्यवाही का मोनिटरिंग प्रमंडलीय आयुक्त नियमित रूप से करेंगे और जहां आवश्यक होगी समिति की अनुशंसा पर सरकार का आदेश प्राप्त करेंगे।

4. मैंने अपने पिछले अ० स० पत्र दिनांक 10 जुलाई, 1989 द्वारा आपसे निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी :-

(1) प्रत्येक जिला पदाधिकारी द्वारा जिला आरक्षण नीति कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है अथवा नहीं।

(2) यदि हां, तो प्रथम बैठक कब हुई अथवा होने वाली है।

(3) यदि बैठक हो चुकी हो, तो उसकी कार्यवाही की प्रतिलिपि प्राप्त कर अपने मन्तव्य के साथ मुझे भेजी जाय।

5. अभी तक आपका उत्तर नहीं आया है जिसके लिये सरकार को अवगत कराने में मुझे कठिनाई हो रही है। आपसे अनुरोध है कि सरकारी संकल्प के कार्यान्वयन हेतु निश्चित रूप से आपके सभी अधीनस्थ जिलों में तुरत बैठकें आयोजित करवा लें। 31 अगस्त, 1989 तक एक प्रतिवेदन अवश्य भेज दें।

6. इस पत्र की प्रतिलिपि मैं सभी जिला पदाधिकारियों/उपायुक्तों को सीधे भेज रहा हूं इस अनुरोध के साथ कि वे अपने जिला की आरक्षण नीति कार्यान्वयन समिति की बैठक तुरत बुलाकर कार्यवाही बना लें और आपके माध्यम से एवं सीधे उक्त तिथि तक भेज दें।

7. कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।

भवदीय,

भास्कर बनर्जी।

पत्र संख्या 15/वि० अभि०-308/89-का०-76

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री भास्कर बनर्जी, आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त, बिहार पटना ।

सेवा में,

श्री ब्रज भूषण सहाय, आयुक्त एवं सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 9 अगस्त, 1989 ।

विषय – **आरक्षण नीति को लागू करने हेतु मानव संसाधन विकास विभाग के अधीनस्थ विश्वविद्यालयों तथा अन्य स्वशासी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित कोटि के सभी रिक्त पदों को भरने हेतु विशेष नियुक्ति अभियान के बारे में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कहना है कि सरकार ने आरक्षित कोटि के सभी रिक्त पदों को 31 दिसम्बर, 1989 तक भरने हेतु राजव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है । सभी विभागों को इसके लिये मुख्य सचिव द्वारा अपने परिपत्र संख्या 11-वि० 1-03/89-का०-176, दिनांक 25 जुलाई, 1989 से स्पष्ट निर्देश भी दिये जा चुके हैं । इस सिलसिले में आपका ध्यान कुलाधिपति, बिहार के दिनांक 19 नवम्बर, 1980 के आदेश, जो राज्यपाल के उप-सचिव के पत्रांक एस० बी० 18, दिनांक 24/25 नवम्बर, 1980 के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया गया है, की ओर आकृष्ट करना है, जिसके अनुसार विश्वविद्यालयों के अधीन व्याख्याता श्रेणी के सभी पदों पर भी सरकार की आरक्षण नीति पूर्णतः लागू की गयी है ।

2. इसी प्रकार मानव संसाधन विकास विभाग के अन्तर्गत् कार्यरत विश्वविद्यालयों के अधीन के सभी कोटि के रिक्त पदों के अतिरिक्त अन्य सभी स्वशासी शैक्षणिक संस्थानों के रिक्त पदों पर सरकार की आरक्षण नीति सम्बन्धी आदेश पूर्णतः लागू होते हैं ।

3. सरकार ने इस सम्बन्ध में जो राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू करने का आदेश दिया है, उसके आलोक में आपसे अनुरोध है कि मानव संसाधन विकास विभाग के अधीनस्थ पूर्णतः सरकारी कार्यालयों के अतिरिक्त सभी

विश्वविद्यालयों तथा अन्य स्वशासी शैक्षणिक संस्थानों, निकायों, संस्थाओं के सम्बन्ध में सूचनायें संलग्न प्रोफॉर्मा में एकत्रित कर (दो प्रतियों में) 31 अगस्त, 1989 तक मेरे पास भेजने की कृपा की जाय ।

साथ ही प्रत्येक माह के 10 तारीख तक प्रत्येक स्वशासी संस्थान से सम्बन्धित मासिक प्रगति प्रतिवेदन को भी मेरे पास नियमित रूप से भेजवाने की व्यवस्था की जाय ।

इस पत्र की प्रतिलिपि कुलाधिपति के प्रधान सचिव तथा सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को दी जा रही है ।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन,

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

ज्ञाप सं० 15/वि० अभि० 308/89-का०-76

पटना, दिनांक 9 अगस्त, 1989 ।

प्रतिलिपि राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/सभी कुलपति (बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/पटना विश्वविद्यालय, पटना/मगध विश्वविद्यालय, बोधगया/भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर/मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा/कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा/रांची विश्वविद्यालय, रांची) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के अनुरोध के साथ प्रेषित ।

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

ज्ञाप सं० 15/वि० अभि० 308/89-का०-76

पटना, दिनांक 9 अगस्त, 1989 ।

प्रतिलिपि सभी कुल सचिव (बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/पटना विश्वविद्यालय, पटना/मगध विश्वविद्यालय, बोधगया/भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर/मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा/कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा/रांची विश्वविद्यालय, रांची) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के अनुरोध के साथ प्रेषित ।

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

ज्ञाप सं० 15/वि० अभि० 308/89-का०-76

पटना, दिनांक 9 अगस्त, 1989 ।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, बिहार पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त।

पत्र संख्या 15-वि०-अभि० 308/89-का०-74

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री भास्कर बनर्जी, आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना, दिनांक 9 अगस्त, 1989 ।

विषय – 31 दिसम्बर, 1989 तक आरक्षित कोटि के सभी रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान के सन्दर्भ में मंत्रिमंडल का निर्णय कालावधि में अधिकाधिक छूट देने के सम्बन्ध में ।

महाेदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 30 मई, 1989 को मंत्रिमंडल की बैठक में आरक्षित कोटि के रिक्त पदों को दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 तक निश्चित रूप से भरने का निर्णय लिया गया और सभी विभागों को तद्नुसार प्रभावकारी ढंग से कार्य करने का निदेश दिया गया है । इसी सन्दर्भ में मंत्रिमंडल की उक्त बैठक में निम्नांकित निर्णय भी लिया गया है :-

"सेवा में आरक्षित पदों पर प्रोन्नति देने के लिये कालावधि में अधिकाधिक छूट दी जायगी । परन्तु कालावधि में छूट कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के आदेशोपरान्त होगा ।"

2. आपसे अनुरोध है कि मंत्रिमंडल के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई की जाय । अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को आवश्यक मार्ग-दर्शन एवं निदेश भी तुरत दे दिया जाय ताकि इसके अनुसार सभी स्तर पर प्रोन्नति की कार्रवाई शीघ्र हो सके ।

3. कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन,

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

ज्ञाप संख्या 15-वि०-अभि० 308/89-का०-74

पटना, दिनांक 9 अगस्त, 1989 ।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, बिहार पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

पत्र संख्या 15-वि०-अभि० 308/89-का०-75

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री भास्कर बनर्जी, आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त, बिहार पटना ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना, दिनांक 9 अगस्त, 1989 ।

विषय – **दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 तक आरक्षित कोटि के सभी रिक्तियों को भरने के विशेष अभियान के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल का निर्णय–इस कोटि में सीधी नियुक्ति के लिये निर्धारित पदों को डि-रिजर्व नहीं करने के बारे में ।**

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 30 मई, 1989 के मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि एक विशेष अभियान चलाकर आरक्षित कोटि के सभी रिक्त पदों को 31 दिसम्बर, 1989 तक निश्चित रूप से भर दिया जाय । यह भी निर्णय हुआ है कि कोई भी आरक्षित पद, जिन पर सीधी नियुक्ति की जानी है, सामान्यतया डी-रिजर्व नहीं किये जायेंगे, परन्तु इन्हें मात्र अत्यावश्यक परिस्थिति में ही, मुख्यमंत्री महोदय का आदेश प्राप्त करते हुए तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करा कर डी-रिजर्व किया जा सकेगा । सरकार चाहती है कि सभी विभाग इस बात को दृढ़तापूर्वक देखें और आदेश का अनुपालन करायें ताकि आरक्षित कोटि के सीधी नियुक्ति के सभी पद उसी कोटि के उम्मीदवारों द्वारा तुरत भरे जायं ।

2. इसी सन्दर्भ में सरकार ने निर्णय लिया है कि आरक्षित पदों को भरने के लिये बिहार लोक सेवा आयोग को विशेष परीक्षाओं को जल्द से जल्द (एट रैपिड इन्टरवल) करने का अनुरोध किया जाय । तदनुसार राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सन्दर्भ में क्रमशः बिहार लोक-सेवा आयोग तथा बिहार राज्य अवर-सेवा चयन पर्षद को आवश्यक अनुरोध कर दिया गया है । आपसे आग्रह है कि अविलम्ब इन संस्थाओं के माध्यम से विशेष परीक्षाओं का आयोजन जल्द से जल्द करवा लें ताकि सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले आरक्षित कोटि के सभी रिक्त पद आपके विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों में निर्धारित तिथि तक अवश्य ही भर दिये जा सकें ।

3. मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि उपर्युक्त व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो तो, केवल आरक्षित वर्ग

को आरक्षित पदों के विरुद्ध तदर्थरूप से नियुक्त करने की कार्रवाई निर्धारित सरकारी नीति/प्रक्रिया के अनुसार की जाय और ऐसी नियुक्तियों में मंत्रिमंडल की सहमति, बिना अपवाद अपेक्षित होगी ।

4. मंत्रिमंडल का यह भी निर्णय हुआ है कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिये इम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवा कर आवेदन करना आवश्यक नहीं होगा । उनसे प्राप्त आवेदन-पत्रों की प्रतिलिपि सम्बद्ध नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में भेज दिये जाने पर इम्पलायमेंट एक्सचेंज उसे पंजीकृत कर लेगा । परन्तु नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति पदाधिकारी को संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि आवेदक नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक अर्हतायें पूरी करते हैं । यह भी निर्णय है कि नियुक्ति के लिये जाति प्रमाण-पत्र केवल जिला पदाधिकारी द्वारा ही दिया जा सकेगा ।

5. आपसे अनुरोध है कि इसी के अनुसार अविलम्ब अपने अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निदेश देते हुए आगे की कार्रवाई की जाय और की गयी कार्रवाई से मुझे अवगत रखा जाय ताकि मैं सरकार को सूचित कर सकूं ।

विश्वासभाजन,

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

ज्ञाप सं० 15/वि०-अभि० 308/89-का०-75

पटना, दिनांक 9 अगस्त, 1989 ।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, बिहार पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

पत्र सं० 11-बि० 1-03/89-195

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

सेवा में,

सचिव,

बिहार लोक-सेवा आयोग, पटना ।

पटना, दिनांक 5 अगस्त, 1989 ।

विषय – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति कोटि के आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये राज्यव्यापी विशेष अभियान के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर सूचित करना है कि मंत्रिमंडल द्वारा 30 मई, 1989 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 जून, 1989 से आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिये एक विशेष राज्यव्यापी अभियान आरम्भ किया जाय ताकि 31 दिसम्बर, 1989 तक सभी रिक्तियाँ भर दी जा सकें । इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि आरक्षित पदों को भरने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को विशेष परीक्षाओं को जल्दी-जल्दी **(At rapid intervals)** आयोजित करने का अनुरोध किया जायेगा ।

2. उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में मुख्य सचिव द्वारा विभागीय आयुक्तों, सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को सम्बोधित पत्र सं० 11-बी० 1-03/89 का०-176, दिनांक 25 जुलाई, 1989 में निम्नांकित निर्देश दिये गये हैं :-

(क) सभी विभागों द्वारा उपलब्ध रिक्तियों को दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 तक भर देना है ।

(ख) जहां भी आवश्यक हो उनके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा शीघ्रतापूर्वक प्राप्त कर लेनी है ।

(ग) सीधी नियुक्तियों के मामलों में आवश्यकतानुसार राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से समय पर विज्ञापन निर्गत कराना है और आयोग की अनुशंसा प्राप्त होते ही नियुक्ति की कार्रवाई पूरी कर लेनी है ।

3. (i) इसी संदर्भ में अनुरोध करना है कि कृपया सरकार के विभिन्न विभागों से उपर्युक्त सन्दर्भ में प्राप्त रिक्तियों के विज्ञापनों को अविलम्ब प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाय तथा विज्ञापन निकलते ही रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यक अनुशंसा, प्राथमिकता के आधार पर, औपचारिकताओं को पूरी कर सम्बद्ध विभागों को भेजवा देने की कार्रवाई की जाय ।

(ii) इसके लिये विशेष परीक्षायें आवश्यकतानुसार जल्दी-जल्दी (At rapid intervals) आयोजित भी की जाय ताकि समय पर सभी रिक्तियों को भर देने में सरकार को कठिनाई न हो ।

4. सभी विभागीय सचिवों को इस पत्र की प्रतिलिपि दी जा रही है ।

5. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

विश्वासभाजन,

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक 11-वि० 1-03/89-195 पटना, दिनांक 5 अगस्त, 1989 ।

प्रतिलिपि सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक 11-वि० 1-03/89-195 पटना, दिनांक 5 अगस्त, 1989 ।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अवर मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

पत्र सं० 11-वि० 1-03/89-194

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री भास्कर बनर्जी, आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त, बिहार, पटना ।

सेवा में,

श्री अरुण प्रसाद, अध्यक्ष, बिहार राज्य अवर-सेवा चयन पर्षद, पटना ।

पटना, दिनांक 5 अगस्त, 1989 ।

विषय – **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति कोटि के आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये राज्यव्यापी विशेष अभियान के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहना है कि मंत्रिमंडल द्वारा 30 मई, 1989 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 जून, 1989 से आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिये एक विशेष राज्यव्यापी अभियान आरम्भ किया जाय ताकि 31 दिसम्बर, 1989 तक सभी रिक्तियां भर दी जा सकें । इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि आरक्षित पदों को भरने के लिए बिहार अवर-सेवा चयन पर्षद की विशेष परीक्षाओं को जल्दी-जल्दी (At rapid intervals) आयोजित करने का अनुरोध किया जायेगा ।

2. उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में मुख्य सचिव द्वारा विभागीय आयुक्तों, सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को सम्बोधित पत्र सं० 11-बी० 1-03/89 का०-176, दिनांक 25 जुलाई, 1989 में निम्नांकित निर्देश दिये गये हैं :-

(क) सभी विभागों द्वारा उपलब्ध रिक्तियों को दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 तक भर देना है ।

(ख) जहां भी आवश्यक हो उनके द्वारा बिहार अवर-सेवा चयन पर्षद की अनुशंसा शीघ्रतापूर्वक प्राप्त कर लेनी है ।

(ग) सीधी नियुक्तियों के मामलों में आवश्यकतानुसार राज्य अवर-सेवा चयन पर्षद के माध्यम से समय पर विज्ञापन निर्गत कराना है और पर्षद की अनुशंसा प्राप्त होते ही नियुक्ति की कार्रवाई पूरी कर लेनी है ।

3. (i) इसी संदर्भ में अनुरोध करना है कि कृपया सरकार के विभिन्न विभागों से उपर्युक्त सन्दर्भ में प्राप्त रिक्तियों के विज्ञापनों को अविलम्ब प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाय तथा विज्ञापन निकलते ही रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यक अनुशंसा, प्राथमिकता के आधार पर, औपचारिकताओं को पूरी कराकर सम्बद्ध विभागों को भेजवा देने की कार्रवाई की जाय ।

(ii) इसके लिये विशेष परीक्षायें आवश्यकतानुसार जल्दी-जल्दी (At rapid intervals) आयोजित भी की जाय ताकि समय पर सभी रिक्तियों को भर देने में सरकार को कठिनाई न हो ।

4. सभी विभागीय सचिवों को इस पत्र की प्रतिलिपि दी जा रही है ।

5. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

विश्वासभाजन,

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक 11-वि० 1-03/89-194 पटना, दिनांक 5 अगस्त, 1989 ।

प्रतिलिपि सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक 11-वि० 1-03/89-194 पटना, दिनांक 5 अगस्त, 1989 ।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

भास्कर बनर्जी,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

पत्र संख्या 11 वि० 1-03/89-का०-176

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री ए० यू० शर्मा, मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 25 जुलाई, 1989 ।

विषय – दिनांक 1 जून, 1989 से आरक्षण नीति को लागू करने के लिये राज्यव्यापी विशेष अभियान ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहना है कि राज्य सरकार के अधीन राज्य सेवाओं/सेवा संवर्ग के अन्तर्गत आरक्षित वर्गों के लिये दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 तक की रिक्तियों को दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 तक भरने के लिये पूर्व में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 136, दिनांक 14 जून, 1989 द्वारा समुचित निदेश दिये जा चुके हैं । उक्त पत्र द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था कि अपने नियंत्रणाधीन एवं अधीनस्थ स्थापना में रिक्त आरक्षित पदों को भरने हेतु एक कालबद्ध कार्य योजना तैयार कर उसकी दो प्रतियां आरक्षण आयुक्त को 30 जून, 1989 तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाय । परन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक कहीं से भी यह कार्य योजना तैयार कर आरक्षण आयुक्त को नहीं भेजा गया है । इस कालबद्ध कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर प्रबोधन (मोनिटरिंग) करने के उद्देश्य से तीन प्रपत्र उक्त पत्र के साथ संलग्न कर भेजा गया था, जिसे भरकर आपको आरक्षण आयुक्त के कार्यालय में 30 जून, 1989 तक भेजना था । बहुत कम विभाग से यह प्रपत्र भर कर प्राप्त हुआ है ।

2. रिक्त पदों को भरने के लिये विशेष अभियान 10 जुलाई, 1989 तक की प्रगति की समीक्षा करने पर जो स्थिति उभर आयी है वह काफी दुखद है । ऐसा प्रतीत होता है कि आप इस ओर उचित ध्यान नहीं दे पाये हैं । समीक्षा के दौरान यह भी महसूस किया गया कि शायद पूर्व में भेजे गये प्रपत्र को भरने में कुछ कठिनाइयां हो रही हैं । अतः पूर्व में भेजे गये तीनों प्रपत्रों को सरल करते हुए अब संशोधित प्रपत्र भेजे जा रहे हैं । संशोधित व्यवस्था के अनुसार अब आपको 4 प्रपत्रों को भर कर भेजना है -

(i) प्रपत्र 1-ए एवं 2-ए उन रिक्तियों से सम्बन्धित हैं जिन्हें सिर्फ प्रोन्नति द्वारा ही भरा जाना है । अतः प्रपत्र 1-ए एवं 2-ए में अत्यन्त पिछड़ी जाति का कोई कॉलम नहीं है, चूंकि प्रोन्नति में आरक्षण सिर्फ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति को अनुमान्य है ।

(ii) प्रपत्र 1-बी एवं 2-बी उन रिक्तियों से सम्बन्धित हैं जिन्हें सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जाना है। चूंकि सीधी नियुक्ति में अत्यन्त पिछड़ी जाति को भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए अत्यन्त पिछड़ी जाति के लिये भी कॉलम बनाया गया है। आप ध्यान देंगे कि इनमें अन्य पिछड़ी जाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं महिला के लिये कोई कॉलम नहीं बनाया गया है, चूंकि उन सबों को अनुमान्य रिक्तियां अग्रनीत नहीं की जाती हैं। जो वर्तमान विशेष नियुक्ति अभियान चलाया जा रहा है वह बकाये (बैक-लॉग) रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से ही चलाया जा रहा है। अतः महिला, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़े वर्ग की कोई रिक्ति बकाया नहीं होने के कारण इन वर्गों के सम्बन्ध में कोई सूचना अब आपसे नहीं मांगी जा रही है।

(iii) प्रपत्र 1-ए एवं 1-बी को कृपया निश्चित रूप से आरक्षण आयुक्त को 31 जुलाई, 1989 तक भेज देंगे।

(iv) उसी प्रकार प्रपत्र 2-ए एवं 2-बी 10 अगस्त, 1989 तक आयुक्त को भेजना सुनिश्चित करें।

यह स्पष्ट रहे कि प्रपत्र 1-ए एवं 1-बी को मात्र एक ही बार भर कर 31 जुलाई, 1989 तक आपको भेज देना है। उसके बाद उन प्रपत्रों को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु प्रपत्र 2-ए एवं 2-बी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बीते माह में की गयी नियुक्ति प्रोन्नति की विवरणी देते हुए आरक्षण आयुक्त कार्यालय को भेज देना है।

3. प्रमंडलीय स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त प्रत्येक जिला पदाधिकारी से प्रतिमाह की 10 तारीख तक पूर्व महीने का समेकित रूप से आरक्षण का आंकड़ा प्राप्त करेंगे। आरक्षण आयुक्त को मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजते समय प्रत्येक माह में पूरे प्रमंडल की रिक्तियों एवं नियुक्तियों का समीक्षा प्रतिवेदन विभागवार प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा ही भेजा जायगा।

4. राज्य सरकार का यह स्पष्ट निदेश है कि 31 दिसम्बर, 1989 तक आरक्षित वर्गों के लिये 31 दिसम्बर, 1988 तक अनुमान्य सभी बकाये रिक्तियां भर दी जायं। यह एक कालबद्ध विशेष अभियान है। अतः आपसे यह अपेक्षा है कि प्राथमिकता के आधार पर इस विशेष अभियान को सफल बनाने का प्रभावी नेतृत्व आप दें एवं मांगी गयी सूचनायें आरक्षण आयुक्त को निर्धारित तिथियों तक अवश्य उपलब्ध करा दें।

विश्वासभाजन,

ह० मू० शर्मा,

मुख्य सचिव, बिहार।

प्रपत्र 1-ए

प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर 31 दिसम्बर, 1988 तक आरक्षित वर्गों के कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण ।

विभाग/कार्यालय का नाम ....

सेवा संवर्ग	पदनाम	वेतनमान	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी की संख्या				वर्गवार अनुमान्य रिक्त पदों की संख्या				
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अन्य	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

जिन वेतनमान के पदों को दोनों सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है, उन वेतनमानों का वर्णन भी करें । परन्तु कुल स्वीकृत पदों की संख्या वाले कॉलम को भरते समय मात्र उतने ही पदों की संख्या का उल्लेख करें, जिन पदों को सिर्फ प्रोन्नति द्वारा ही भरा जाता है ।

प्रपत्र 2-ए

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति को अनुमान्य रिक्तियां को प्रोन्नति से भरे जाने से सम्बन्धित मासिक प्रतिवेदन

विभाग । कार्यालय का नाम.. मासांत ....

सेवा संवर्ग	पदनाम	वेतनमान	31 दिसम्बर, 1988 तक आरक्षित वर्ग को अनुमान्य रिक्तियां		पिछले माह तक की गयी प्रोन्नतियां		आलोच्य माह में दी गयी प्रोन्नतियां		अद्यतन (उपलब्धि)		अभ्युक्ति (अब तक की गयी कारवाई) ।
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र 1-बी

मीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर 31 दिसम्बर, 1988 तक आरक्षित वर्गों के कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण ।

विभाग/कार्यालय का नाम ....

सेवा का संवर्ग	पदनाम	वेतनमान	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी की संख्या					वर्गवार अनुमान्य रिक्त पदों की संख्या				
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अत्यन्त पिछड़ी जाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अत्यन्त पिछड़ी जाति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

जिन वेतनमान के पदों को दोनों सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है, उन वेतनमानों का वर्णन भी करें । परन्तु कुल स्वीकृत पदों की संख्या वाले कॉलम को भरते समय मात्र उतने ही पदों की संख्या का उल्लेख करें, जिन पदों को सिर्फ सीधी नियुक्ति द्वारा ही भरा जाता है ।

प्रपत्र 2-बी

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की अनुमान्य रिक्तियों को सीधी नियुक्ति से भरे जाने से सम्बन्धित मासिक प्रतिवेदन

विभाग /कार्यालय का नाम.. मासांत ....

सेवा का संवर्ग	पदनाम	वेतनमान	31 दिसम्बर, 1988 तक आरक्षित वर्ग की पिछले माह तक की गयी नियुक्ति			अनुमान्य रिक्तियां			आलोच्य माह में की गयी नियुक्तियां			अद्यतन उपलब्धि	अभ्युक्ति
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति/ पिछड़ा वर्ग	(अब तक की गयी कार्रवाई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14